कुरुक्षेत्र

संपादकीय

तेतीसवें गणतन्त्र दिवस की सुखद वेला में संकल्प लें अंदरूनी दुश्मनों को खत्म करने का

हमारा गणराज्य अभी अपने शैशव काल में है । 33 वर्ष किसी राष्ट्र के राजनीतिक जीवन में कोई विशेष मानी नहीं रखते । फिर भी इस अवधि में हमारे गणराज्य ने विकास की दृष्टि से काफी लम्बे डग भरे हैं । देश स्वतन्त्रता से पूर्व जहां अनाज के मामले में पराश्रित था वहां अब अनाज का निर्यात करने की स्थिति में है । हमारी हरित क्रान्ति ने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया है । सिंचाई और बिजली के विकास की दिशा में आशातीत प्रगति हुई है । औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भी देश काफी आगे बढ़ा है । देश के कोने-कोने में औद्योगिक प्रतिष्ठानों का जाल बिछा दिया गया है । भारी-भारी मशीनें बनने लगी हैं । औद्योगिक उत्पादनों के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा रही है । कहने का अर्थ यह है कि आर्थिक दृष्टि से हमारे विकास प्रयासों को आशातीत सफलता मिली है । शिक्षा, संचार, संस्कृति तथा समाजोन्नति आदि की दृष्टि से भी विकास को काफी बल मिला है ।

यह ठीक है कि हम भौतिक दृष्टि से विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हुए हैं परन्तु हमें यह कहते हुए दुःख होता है कि नैतिक दृष्टि से हम अधःपतन के गर्त में जा गिरे हैं । झूठ, फरेब, लालच, चोरी-जारी, लूट-डकैती, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, मिलावट, कमतोल, अनुशासनहीनता आदि बुराइयां समाज के कण-कण में व्याप्त हैं । एक ओर जहां ये बुराइयां हमारे समाज से कोढ़ की तरह चिपटी हुई हैं, वहां दूसरी ओर धर्म या सम्प्रदाय के नाम पर होने वाले झगड़ों तथा पारस्परिक द्वेषभाव से सारा समाज क्षत-विक्षत है । ये सब हमारे अन्दरूनी शत्रु हैं और हमें अपने विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए इनसे सावधान रहना होगा ।

एक ओर जहां हमें अपने इन अन्दरूनी शत्रुओं से खतरा है, वहां दूसरी ओर बाहरी शत्रु भी हमारी सस्य श्यामला भारत वसुन्धरा पर आंख लगाए बैठे हैं । हमारा पड़ोसी पाकिस्तान पश्चिमी देशों के कुचक्रों का मोहरा बन कर समूचे महाद्वीप की शान्ति को चुनौती दे रहा है । सभी जगह सन्देह और आशंका का वातावरण है और कूटनीति का जाल फैला हुआ है ।

आत्मानुशासन

पहली बात तो यह है कि बाहरी शत्रुओं से अन्दरूनी शत्रु अधिक घातक होते हैं । अतः हमें अपने अन्दरूनी शत्रुओं से निपटने के लिए आत्मानुशासन के मर्म को समझना होगा । आत्मानुशासन अन्दरूनी शत्रुओं से मुक्त होने की पहली शर्त है । भ्रष्टाचार हमेशा सिरे से चलता है । यदि शासक भ्रष्टाचार से मुक्त हैं तो शासित के पथभ्रष्ट होने का सवाल ही नहीं उठता । खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है । रामायण में कहा गया है "जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचन्द्र के राज" इसका अर्थ यह है कि राजा राम के राज्य में जनता आत्म नियन्त्रित और आत्मशासित थी । इसका कारण यही था कि राजा राम स्वयं आत्मानुशासन, संयम, नियन्त्रण, तथा चारित्रिकता के अवतार थे । अतः स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि अनुशासन, सहिष्णुता, एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव, सर्वधर्म समभाव, तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखा जाए । गांधी जी के रामराज्य की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब हमारे शासक और शासित दोनों ही भारतीय संस्कृति के मूलतत्वों—धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य तथा अक्रोध से अपने को संस्कारित करें ।

गांधीजी ने केवल सत्य और अहिंसा का संबल लेकर विश्वव्यापी ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में धराशायी कर दिया था । । लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या आदि बुराइयां मनुष्य को असंस्कृत बना देती हैं । अतः इनसे बचना होगा । हमें अपने व्यक्तिगत चरित्र को ऊंचा उठाना होगा । उसी से हमारा सामाजिक चरित्र बनेगा । तब हम अपने अन्दरूनी शत्रुओं से मुक्ति पाकर सुख-समृद्धि तथा रामराज्य के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे । मानवीय यातना की समाप्ति और मानवता का अभ्युदय ही हमारे चिन्तन का विषय होना चाहिए न कि हम व्यक्तिगत स्वार्थ के मोहजाल में फंसकर राष्ट्र की नौका को मझधार

(शेष पृष्ठ 3 पर)

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण पुनर्निर्माण का प्रमुख मासिक

वर्ष 27 | पौष–माघ 1903 | अंक 3

इस अंक में : पृष्ठ संख्या

गणराज्य, स्वराज्य और रामराज्य	2
कमला प्रसाद चौरसिया	
बेरोजगार युवकों और छात्रों को कमाने का सुनहरा अवसर	4
हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक : बहादुर शाह 'जफर'	7
राजेन्द्र प्रसाद पांडेय	
संसद् का मानसून सत्र—एक झांकी	8
रघुनाथ सिंह	
पर्यावरण प्रदूषण : मानव जीवन के लिए गम्भीर खतरा	10
राधे लाल	
निष्काम कर्मयोगी—संत श्री गाडगे	11
देवेन्द्र कुमार बैसन्तरी	
परिवार नियोजन कार्यक्रम से जन्म दर घटी	13
डा० प्रेम शरण शर्मा	
सर्वधर्म समभाव की साधना स्थली-पंचशील मंदिर	16
डा० योगेन्द्र नाथ शर्मा 'अरुण'	
प्याज का निर्यात व्यापार	18
डा० ओम प्रकाश शर्मा	
ये हैं इलाहाबाद के पेड़.....अमरूद	20
डा० वीरेन्द्र कुमार खुल्लर	
दरिद्रनारायण के उपासक गांधी जी के विचार में शारीरिक श्रम का महत्व	21
सुरेन्द्र अग्रवाल	
नई लहर (रूपक)	24
पूरन चन्द	
पर्यावरण प्रदूषण से स्वास्थ्य रक्षा कैसे ? कुछ सुझाव	26
राजेन्द्र सिंह	

स्थायी स्तम्भ

साहित्य समीक्षा : केन्द्र के समाचार : कविता : पहला सुख निरोगी काया आदि।

'**कुरुक्षेत्र**' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'**कुरुक्षेत्र**' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●

एक प्रति 1 रु० : वार्षिक चंदा 10 रु०

●

दूरभाष : 382406

सम्पादक : महेन्द्र पाल सिंह

उपसम्पादक : राधे लाल

आवरण पृष्ठ : कुमारी अलका

गणराज्य, स्वराज्य और रामराज्य

कमला प्रसाद चौरसिया

'दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज्य काहुहि नहिं व्यापा' जैसे कथन सुनकर मन प्रसन्न हो उठता है। कितनी सुखी और सन्तुष्ट रही होगी, उस काल की जनता, सोचकर मन कल्लोल करने लगता है? काश, वैसा ही शासन तंत्र अमल में आए। सब भ्रातृभाव से रहें। सुख और सन्तोष से जीवन यापन करें। रामराज्य ही सबका काम्य और चिन्तन का विषय रहा है।

प्रजातंत्र की परिभाषा सरलतम और सीमितम शब्दों में करते हुए लिंकन ने उसे ऐसा शासन बताया जो 'जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का' है। प्रजातंत्र के इतिहास में यह परिभाषा लोकप्रिय तो है ही, महत्वपूर्ण भी है। लिंकन की इस उक्ति के बिना प्रजातंत्र की व्याख्या अधूरी ही रहेगी। वस्तुतः जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन पूर्ण स्वतंत्र व्यवस्था है। यदि जनता खुद अपने पर शासन करती है तो उसे स्वयं अनुशासित रहना होगा, आत्म विवेक जाग्रत कर संयम और सहिष्णुता का परिचय देना होगा। कोई भी अपना बुरा नहीं चेतता, न करता है। अतः जब अपने पर शासन करने का प्रश्न उठता है, तब अपना विरोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता। 'आत्मैव ह्यात्मनों बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः' जैसी समझ विकसित करने के लिए विवश होना पड़ता है।

वस्तुतः लिंकन ने प्रजातंत्र की जैसी कल्पना की है, वह आत्मानुशासन पर ही आधारित है। आत्मानुशासन से आचरण की सभ्यता का विकास होता है। उससे एक ऐसी संस्कृति का अभ्युदय होता है, जो न अनैतिक आचरण करती है, न अनैतिक आचरण करने की इजाजत देती है।

राज्य का संबंध मनुष्य से होता है। अतएव जितने भी राजनीति के चिन्तक है, सबके सब मानववादी चिन्तक हैं। मानवीय यातना की समाप्ति सुखी और समृद्ध मनुष्यता का अभ्युदय ही सबके चिन्तन का प्रेरक, ज्ञेय और साध्य रहा है। यही कारण है कि प्रजातान्त्रिक या प्रजातान्त्रिक गणराज्यवादी चिन्तक, समाजवादी चिन्तक मार्क्स आदि, देशीपन के चिन्तक गांधी अथवा धर्म-भावना प्रेरित राज्यव्यवस्था के चिन्तक, सबके सब नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। स्पष्टतः ये सभी चिन्तक व्यक्ति चेतना को अधिक महत्व देते हैं। व्यक्ति चेतना से ही सामाजिक चेतना उदित होती है। राजा या राज्य-व्यवस्था व्यक्ति चेतना को ही जन-चेतना के रूप में समृद्ध करती है। उसके अनुसार व्यक्ति को चलने के लिए विवश करती है।

किंचित् बारीकी से अध्ययन करने पर सुस्पष्ट हो जाता है कि चिन्तक राज्य-व्यवस्था में शासक अथवा शासक-दल को उतना महत्त्व नहीं देते जितना शासितों को देते हैं। वस्तुतः शासन शासितों के आचरण और रहन-सहन से शब्दायित होता है। शासितों के आचरण-संस्कार, शिक्षण आदि के लिए शासन इसीलिए सचेष्ट रहता है। यदि शासित स्वयं संयमित और अनुशासित रहते हैं, तो फिर कहना ही क्या? जहां पर शासित 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' या 'हमार कोई का करिहै', जैसा आचरण करने लगते हैं, वहां राज्य-व्यवस्था लड़खड़ाए बिना नहीं रह सकती। जिस व्यवस्था में अनैतिक और अराजक तत्व अपना औचित्य सिद्ध करने पर उतारु हो जाते हैं, वह व्यवस्था भंग हुए बिना नहीं रह सकती।

हमारा रामराज्य और ग्राम-स्वराज्य एक आदर्श राज्य-व्यवस्था के रूप में ख्यात है। रामराज्य की सुव्यवस्था और सुखी जन-जीवन के लिए जो तत्व केन्द्रीय महत्त्व का है, वह है, "जीतहु मनहिं सुनिअ अस रामचन्द्र के राज"। स्पष्ट है कि रामराज्य में जनता आत्म-नियंत्रित और आत्म-शासित है। उसे शासन के प्रति अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों का ज्ञान है। वह उनकी पूर्ति स्वयं-प्रेरित होकर करता है। शासन को साम-दाम-दण्ड-भेद आदि में प्रवृत होने के लिए अवसर ही नहीं है।

मन ही सब बुराइयों की जड़ कहा गया है। लोभ-मोह-ईर्ष्या आदि मनुष्य को संस्कार-च्युत करते हैं, असन्तोष भड़काते हैं। उसे कुत्सित कर्म में प्रवृत करते हैं। और जैसा बहुधा होता है, अपने बिगड़ैल होने के लिए शासन पर अथवा पड़ोसी पर लांछन मढ़ने की कोशिश करता है। मुख्यतः शासित के मन की है। यदि वह सुसंस्कृत और सदाचरण-युक्त जीवन जीता है तो यह शासन और शासित दोनों के लिए सुखद है।

ग्राम-स्वराज्य में 'सादा जीवन, उच्च-विचार' जीवन-पद्धति का आचरण स्वीकार किया गया है। सीमित किन्तु अनिवार्य आवश्यकताएं, मितव्ययी रहन-सहन और नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरने वाले आचार-व्यवहार का आदान-प्रदान ग्राम्य जीवन की आज भी अपनी विशेषताएं हैं। वे स्वयं शासित रहना पसन्द करते हैं। पश्चाताप और आत्म-प्रताड़ना आज भी उनकी अपनी दण्डव्यवस्था है।

औद्योगीकरण ने शहरीकरण को जन्म दिया। शहरीकरण ने मुद्रा को मूल्यवान बना दिया। फलतः चारित्रिकता का पतन हुआ है। तड़क-भड़क और आडम्बरप्रियता बढ़ी है। इस दौर में मनुष्य की वांछनीय आवश्यकताओं को भी अनिवार्य जरूरतों की तरह महत्त्व प्राप्त हो गया है। तात्पर्य यह है कि उसकी आवश्यकताएं निरन्तर बढ़ रही हैं। उसे चिन्ता-ग्रस्त कर रही हैं। उसकी व्यक्ति-चेतना तो अहंता प्राप्त कर सकी है किन्तु सामाजिक-बोध निरन्तर ह्रास-ग्रस्त होता गया है। स्पष्टतः शहरीकृत सभ्यता ने उसे आत्मकेन्द्रित अधिक बनाया है। एक ओर वह अपना ठाठ-सामान इकट्ठा कर दूसरों की नजरों में ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी ओर स्वयं एकाकी और असुरक्षित अनुभव कर रहा है।

विकास की इस प्रक्रिया में उसका ग्राम्य-भाव तथाकथित शहरी कुलीनत्व और कृत्रिम शिष्टाचार अप्रतिष्ठित हो गया। 'सादा जीवन, उच्चविचार' का आचरण 'ऊंची दुकान का फीका पकवान' वाले दर्शन से निर्वासित हो गया है। व्ययशीलता और अनैतिक आचरण सम्मत बैठकी उसके रौब और प्रतिष्ठा का पर्याय बन गई है। संयम और आत्मानुशासन सिर्फ उपदेश और भाषण तक सीमित रह गए हैं। ऐसे में समस्त मानव-सभ्यता संकट ग्रस्त हो गई है। मानव-मूल्य घट रहे हैं। मनुष्य की पीड़ाएं और चिन्ताएं बढ़ी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज देशी माटी के अर्थ और राज-दर्शन पर चिन्तन और आचरण की महती आवश्यकता है। गांधी का जीवन-दर्शन सम-सामयिक, उपयोगी और मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। □

एल० आई० जी०-बी०/78,

बांधवगढ़ कालोनी

पो० आ० बिरला विकास,

सतना (म० प्र०)

सम्पादकीय . . . . **(आवरण पृष्ठ 2 का शेषांश)**

में छोड़ दें। राष्ट्र को सबल बनाने के लिए अपने को स्वस्थ, सुन्दर तथा सुसंस्कृत बनाने की जरूरत है। जब हम सही रूप में आत्मानुशासन, संयम और इन्द्रिय निग्रह के मर्म को हृदयङ्गम कर लेंगे तो हमारा अन्दरूनी शत्रु अपनेआप धराशायी हो जाएगा। फिर क्या कोई विदेशी शक्ति ऐसे राष्ट्र की ओर आंख उठाकर बुरी नजर से देख सकती है? कदापि नहीं।

यह ठीक है कि कुछ विदेशी शक्तियां हमेशा ही अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए दूसरों को लड़ाने-भिड़ाने में ही अपना गौरव समझती हैं। उनके लिए मानवता का कोई मूल्य नहीं होता। और यह हमेशा से ही होता चला आ रहा है। आज भी कुछ हमारे यार-दोस्त इसी धुन में हैं कि इस नवजात गणराज्य को अपने चंगुल में फंसाकर रखा जाए और इसे एक सबल शक्ति के रूप में उभरने न दिया जाए। जहां एक ओर इन्होंने हमारे इर्द-गिर्द कूटनीति का जाल फैला रखा है वहां ये दूसरी ओर मारक हथियारों का जखीरा खड़ा करके और रक्तपिपासु राष्ट्रों को हथियारों का दान देकर दुनिया की शान्ति को भंग करने का ताण्डव रच रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें 'वीर भोग्या वसुन्धरा' नीति को ध्यान में रखना होगा। इतिहास साक्षी है कि जब कभी हमने इस नीति से मुंह मोड़ा, हम पराभूत हुए। बाबर और राणा सांगा के युद्ध में एक ओर गोलाबारूद और तोपें थीं तो दूसरी ओर केवल भाला बर्छी और तीर कमानें थीं। फिर नतीजा वही हुआ जो होना था। अतः हमें अपने को आधुनिक सामरिक दृष्टि से पूर्ण सुसज्जित रखना होगा और अपने को सबल और सशक्त बनाने के सतत प्रयत्न करने होंगे। तभी हम अपने लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकते हैं। अतः जरुरी है कि हम अपने 33वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी अन्दरुनी कमजोरियों को दूर करने का संकल्प लें। □

बेरोजगार युवकों और छात्रों को कमाने का सुनहरा अवसर

मद्रास के छात्रों और बेरोजगार शिक्षित युवकों और युवतियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री कुमारी कुमुद जोशी पुस्तकें समर्पित करती हुई ।

सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री के लिए देश में युवकों और छात्रों को नियुक्त करने की पहली प्रागोगिक प्रायोजना का केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री कुमारी कुमुद बेन जोशी द्वारा उद्घाटन किया गया।

उपर्युक्त मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा आयोजित अपने किस्म की इस पहली प्रायोजना का उद्देश्य मद्रास शहर में युवकों को न सिर्फ लाभदायक रोजगार उपलब्ध करना है बल्कि समुदाय के लोगों को पुस्तकें भी उपलब्ध करना है। पच्चीस बरोजगार युवक और छात्र चुने गए हैं और उनको उपमंत्री द्वारा नियुक्ति-पत्र भी दे दिए गए हैं । चुने हुए उम्मीदवारों में विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं जिनकी सिफारिश विकलांगों के लिए स्थापित व्यावसायिक पुनर्स्थापना केन्द्र द्वारा की गई थी ।

एक बार में हर व्यक्ति को बिक्री के लिए 200 रुपये की पुस्तकें दी जाएंगी । इस रकम में से वह अपने लिए 25 प्रतिशत रख सकता है और बकाया बिक्री केन्द्र, मद्रास को अदा कर सकता है । इसके बाद, उसे किताबों का नया सैट मिल सकता है । योजना का उद्देश्य छात्रों द्वारा पढ़ते हुए कमाई करना है और इसके अलावा, लोगों को सरकारी पुस्तकें आसानी से उपलब्ध कराना है ।

उपर्युक्त अवसर पर बोलती हुइ सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री कुमारी कुमुद जोशी ने तमिलनाडु की जनता के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कीं और कहा कि मैंने 16 मई, 1981 को इस महान सांस्कृतिक शहर में पदार्पण किया था और प्रकाशन विभाग तथा लगभग सरकारी क्षेत्र के अन्य 24 प्रकाशन संगठनों की पुस्तक प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की थी । इस प्रदर्शनी का उदघाटन मुख्यमंत्री

श्री एम० जी० रामचन्द्रन् ने किया था। उस अवसर पर एक बड़े सार्वजनिक महत्व की योजना के बारे में जिक्र किया गया था। यह योजना है शिक्षित युवकों और छात्रों को सामुदायिक रोजगार उपलब्ध करने की। यह योजना उस समय सरकार के विचाराधीन थी और अब मैं यहां उसका विधिपूर्वक उद्घाटन करने आई हूं।

जैसा कि प्रकाशन विभाग के निदेशक ने बताया है कि यह परीक्षण के आधार पर पहली बार मद्रास शहर में चालू की जा रही है। 25 शिक्षित बेरोजगार युवक तथा छात्रों को अपने विक्रेताओं के रूप में चुन लिया गया है।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकें न सिर्फ सबसे सस्ती और उत्पादन गुणों की दृष्टि से सबसे अच्छी हैं बल्कि इनमें बहुत ही राष्ट्रीय महत्व के विषयों से सम्बन्धित हैं। प्रकाशन विभाग ने बच्चों के लिए कुछ बहुत ही सुन्दर और सचित्र पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इन किताबों की मांग दिनों-दिन बढ़ती जा रही है और इन युवकों द्वारा पुस्तकों को बेचना और अपनी अच्छी रोजी कमाना कोई कठिन काम नहीं है। यह काम अपनी पढ़ाई-लिखाई में विघ्न डाले बिना बचे हुए समय में किया जा सकता है। प्रकाशन विभाग के निदेशक को मेरा साधुवाद है कि उन्होंने ऐसी उपयोगी योजना का प्रारम्भ किया। इससे बेरोजगार शिक्षित युवकों और छात्रों को काफी सहायता मिलेगी। यह योजना मद्रास शहर में परीक्षण के आधार पर चलाई गई है और इसका परिणाम देखने के बाद इसे तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण शहरों तथा दूसरे शहरों में भी चालू कर दिया जाएगा। शीघ्र ही कलकत्ता में इसे चालू करने की संभावनाओं को खोजा रहा है। देश के सभी भागों में जानकारी देने वाला साहित्य और उपयोगी पुस्तकें पाठकों को उपलब्ध करने के लिए प्रकाशन विभाग ने एक अभियान शुरू कर दिया है और अनेक राज्यों की राजधानियों में पुस्तक बिक्री केन्द्रों का जाल बिछा दिया है।

इन बिक्री केन्द्रों के द्वारा प्रकाशन विभाग सरकारी क्षेत्र के प्रकाशन संगठनों द्वारा प्रकाशित बहुमूल्य पुस्तकों को जनता को उपलब्ध करा रहा है। कुछ वर्ष पहले तक इन संगठनों की पुस्तकों से जनता बिल्कुल अपरिचित थी।

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि प्रकाशन विभाग की वार्षिक बिक्री की राशि 1973 में केवल 20 लाख रुपये से बढ़कर 1980-81 में 2.55 करोड़ रुपये हो गई है। इससे सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठनों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सर्वप्रियता का पता चलता है।

अब तक हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्य-पुस्तकों की बिक्री सिर्फ नई दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में ही कर रहे थे। यहां प्रकाशन विभाग प्रति वर्ष एक करोड़ से अधिक मूल्य की पाठ्य-पुस्तकों की बिक्री करता है और अब प्रकाशन विभाग मद्रास, त्रिवेन्द्रम के बिक्री केन्द्रों और हैदराबाद के प्रस्तावित केन्द्र के द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक और प्रशिक्षण परिषद् की पाठ्यपुस्तकों की बिक्री की व्यवस्था की जा रही है और संभवतः अगले वर्ष से यह कार्य शुरू हो जाएगा। मुझे यकीन है कि चारों दक्षिणी राज्यों का छात्र समुदाय इन पाठ्य-पुस्तकों को ठीक समय पर और बिना किसी कठिनाई के प्राप्त कर सकेगा। कुमारी कुमुद जोशी ने कहा कि 25 युवकों को नियुक्ति पत्र जारी कर इस योजना का विधिवत् उद्घाटन करते हुए मुझे खुशी हो रही है।

श्री मेहता का भाषण

उद्घाटन से पूर्व प्रकाशन विभाग के निदेशक श्री डी० एस० मेहता ने प्रकाशन विभाग के कार्य-कलापों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रकाशन विभाग की स्थापना मंत्रालय के एक मीडिया यूनिट के रूप में 1941 में की गई थी और अब यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रकाशन तथा पुस्तक बिक्री का संगठन है। पिछले चार दशकों की अवधि में प्रकाशन विभाग ने हिन्दी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न विषयों पर लगभग 6000 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। प्रकाशन विभाग ने अब तक गांधी वाङ्मय के अंग्रेजी में 82 ग्रन्थ और हिन्दी में 73 ग्रन्थ प्रकाशित किए हैं।

प्रकाशन विभाग विभिन्न अवधियों की 21 पत्रिकाएं प्रकाशित करता है जिनमें अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में साप्ताहिक रोजगार समाचार भी शामिल है। इसकी प्रतिसप्ताह लगभग 3 लाख प्रतियां बिक जाती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण पाक्षिक पत्रिका 'योजना' है जो राष्ट्रीय योजना और विकास की पत्रिका है और तमिल, तेलगू और मलयालम सहित 10 भाषाओं में प्रकाशित की जाती हैं। योजना का तमिल संस्करण मद्रास से प्रकाशित होता है और इसकी प्रतिपाक्षिक 8000 से अधिक प्रतियां बिक जाती हैं।

उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रकाशन विभाग सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रकाशन केन्द्र है और इसकी वार्षिक विक्रय राशि 1980-81 में 2.55 करोड़ रुपये से अधिक थी। इतना ही नहीं, यह लगभग 24 सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठनों के प्रकाशनों का भी सबसे बड़ा विक्रय संगठन है। प्रकाशन विभाग ने नई दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, त्रिवेन्द्रम और पटना में पहले ही सात विक्रय केन्द्र खोल रखे हैं।

हमने समय-समय पर राज्यों की राजधानियों और बड़े-बड़े शहरों में विशेष पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की हैं जिनके माध्यम से तरह-तरह की पुस्तकों को जनता के लिए प्रदर्शित किया जाता रहा है। इस तरह की प्रदर्शनियां हमने नई दिल्ली, चण्डीगढ़, लखनऊ और कलकत्ता में आयोजित की और एक प्रदर्शनी शीघ्र ही अहमदाबाद में आयोजित करने जा रहे हैं।

इस वर्ष 16 मई को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों की पुस्तकों की एक ऐसी ही प्रदर्शनी इस बिक्री केन्द्र में आयोजित की गई जिसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन ने किया था। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री कुमारी कुमुद जोशी ने अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा था कि सरकार मद्रास शहर में बेरोजगार युवकों और

छात्रों को लाभदायक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की योजना पर विचार कर रही है । आज विधिवत इस योजना का उद्घाटन करने के लिए वह हमारे बीच में हैं । इस योजना में बेरोजगार शिक्षक युवकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की काफी बड़ी क्षमता है । वे संस्थाओं और व्यक्तियों को हमारी पुस्तकें बेचकर लगभग 500 रुपये से 1000 रुपये तक कमा सकते हैं । सभी जटिल नियमों और कार्य-विधियों को दूर कर दिया गया है और अब केवल बेरोजगार शिक्षित व्यक्ति या छात्र को रस्मी तौर पर अपने संरक्षक से 200 रुपये की साधारण जमानत (स्यौरटी बांड) देनी होगी और इसी मूल्य की पुस्तकें उसके लिए जारी कर दी जाएंगी । किताबों की बिक्री के बाद वे सीधा 25 प्रतिशत कमीशन अपने लिए रख सकते हैं और बकाया हमारे बिक्री केन्द्र को अदा कर सकते हैं । इसके बाद उन्हें पुस्तकों का नया सैट मिल सकता है । इस प्रकार यदि एक छात्र दो दिन में 200 रुपये की किताबों की बिक्री कर सकता है तो वह ठीक दो दिन में अपने लिए 50 रुपये कमा सकता है । □

अमर रहे गणतन्त्र हमारा

नील गगन में उन्मुक्त भाव से, उड़े तिरंगा प्यारा
सारे विश्व में युग-युग तक, अमर रहे गणतंत्र हमारा
चंद्रगुप्त, प्रताप, शिवा ने
देशहित जीवन दान दिया,
वीर भगत, सुभाष, शेखर ने
मृत्यु को अंगीकार किया।
भूल नहीं सकता इतिहास
झांसी की लक्ष्मी रानी को
हल्दीघाटी, पानीपत और—
प्लासी की अमर कहानी को।
स्वाधीनता के सजग संतरी बापू ने देश संवारा
सारे विश्व में युग-युग तक, अमर रहे गणतंत्र हमारा।
सीमा की रक्षा के लिए जिसने
खायी सीने पर गोलियां।
कितनी बहनों, माताओं की
खाली हो गयी झोलियां।
कौन भला भूल पाएगा
रणबांकुरों के बलिदानों को।
होम यौवन का करने वाले
खुदीराम, ऊधम महान को।
गूंज रही है दशोदिशाएं, गूंज रहा जग सारा
सारे विश्व में युग-युग तक, अमर रहे गणतंत्र हमारा।

अतुल गोस्वामी
जनप्रिय पुस्तक मंदिर
हरियाणा रोडवेज बस अड्डा
बल्लभगढ़-121004

हिन्दु-मुस्लिम एकता के प्रतीक-बहादुर शाह "जफर"

राजेन्द्र प्रसाद पांडेय

कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए ।
दो गज जमीं भी मिल न सकी कुएं-यार में ।।

आसुंओं में भीगी यह बेबसी है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह "जफर" की, जो गोरे हुक्मरानों की कैद में गुलामी की जिन्दगी जीते हुए वतन से सैंकड़ों कोस दूर रंगून में मरने को मजबूर थे।

सिराजुद्दोला प्लासी का युद्ध हार गए थे, हैदरअली गुजर चुके थे और टीपू लड़ते-लड़ते खेत रहे थे। इसके बाद सन् सत्तावन की क्रांति से पूर्व करीब 75 साल तक भारत बिल्कुल ही पस्त हिम्मत रहा, भारत-वासियों ने अपनी आजादी के लिए कोई भी बड़ी कोशिश नहीं की, उनके स्वाभिमान की कमर झुक गई, परिणामस्वरूप उन्होंने सर झुकाकर अपने हाथ गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए अंग्रेजों की ओर बढ़ा दिए।

मगर इस पंगु नैतिकता से निकली नई भारत-संतान के लिए यह दुर्दशा बर्दाश्त के बाहर थी क्योंकि जिस "सोने की चिड़िया" को कभी महमूद गजनवी, तैमूर लंग और नादिरशाह जैसे खूं-रेजी लूटेरे लूट न सके थे, उस "सोने की चिड़िया" को लूट कर—पिंजड़े में बंद कर जहाज पर लाद कर ईस्ट इंडिया कम्पनी की छत्रछाया में भारत-भूमि को रौंद रहे अंग्रेज विलायत लिए जा रहे थे और जिस पोरस के साथ विजेता सिकन्दर ने राजा-का-सा व्यवहार किया था, उसी पोरस की संतान—देशी राजाओं के साथ डलहोजी राज्यों को हड़पने की नीति अपनाकर बुरी तरह पेश आ रहा था।

गुलामी का यह तजुर्बा भारतवासियों के लिए बिल्कुल ही नया था क्योंकि शुरू-शुरू में मुसलमान हमलावर भारत आए थे, तो वे विदेशी जरूर थे, जैसे कि इंग्लैंड में हमलावर नार्मन और डेनबमगर। जब मुसलमान भारत में बस गए, इसे ही उन्होंने अपना देश और घर मान लिया। यहां ही शादी-विवाह करके बाल-बच्चे पैदा करने लगे, तब वे भारत की ही सन्तान बन गए। इस तरह कल के अकबर और औरंगजेब उतने ही भारतीय थे, जितना कि भारत में रहने वाला आज कोई भी मुसलमान है। अतः मुसलमानी शासन कभी हमारे यहां कभी भी विदेशी शासन नहीं रहा। दूसरी ओर गोरे हिन्दुस्तान की दौलत लूटकर विलायत लिए जा रहे थे। यह सब हिन्दुस्तानियों के लिए असह्य था। फलतः स्वयं-रक्षा और स्वराज्य के लिए क्या हिन्दू क्या-मुसलमान-सभी भारतवासी सामूहिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध सत्तावन में क्रांति का नारा बुलन्द करते हुए उठ खड़े हुए, इंकलाब हो गया, तलवारें झनझना उठीं, बरछे-बरछियां चमकने लगीं और अंग्रेजों ने अपनी हिफाजत के लिए हिन्दुस्तानी सिपाहियों को जो बन्दूकें दी थीं, वे अंग्रेजों पर ही धांय-धांय करती हुई गरज उठीं। क्रांति हो गयी।

इस इंकलाब के सिपहसालार मुगल सम्राट बहादुर शाह "जफर" ही थे। उनके हर झंडे के नीचे ही क्रांति के सिपाही खड़े होकर भारत-भूमि से गोरों को मार गिराने के लिए कृत-संकल्प थे। फिर तो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि में क्या-क्या हुआ, इसका एक लम्बा इतिहास है, जिसे यहां दे सकना संभव नहीं है। बगावत के बाजुओं में कस जाने से गोरे छटपटा उठे। मगर किसी केन्द्रीय योजना, परस्पर-सहयोग और सुव्यवस्थित नेतृत्व के अभाव में सामूहिक रूप से लड़ी गई हमारी आजादी की यह पहली लड़ाई नाकामयाब रही और फिर तो फिरंगियों ने देश को बुरी तरह से कुचला-ऐसे कि हिन्दुस्तान की रूह ही कांप उठी।

सैंकड़ों लोगों को फांसी के तख्तों पर लटका दिया गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह "जफर" के नजरबंदी की हालत में देश से निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया और उनके दो बेटों तथा नाती को कत्ल कर दिया गया। जी, हां, उसी जहांगीर की औलाद का कत्ल कर दिया गया, जिसने कभी एक दिन इन्हीं कातिलों के वालिदों को इस देश की जमीन पर पांव धरने की जगह दी थी—बिस्तर बिछाने की इजाजत बख्शी थी। इतिहास में कृतघ्नता का शायद इससे बड़ा उदाहरण दूसरा नहीं है।

जयचंद और मीरजाफर की परम्परा में इलाहीबख्श ने अपनी गद्दारी की सफल भूमिका निभाई, जब एक अंग्रेज जनरल हडसन ने मुगल-बादशाह को और उनकी बेगम को बंदी बनाने के बाद उनके दो पुत्रों और एक नाती को मात्र गोली से उड़ा ही नहीं दिया, अपितु उसने उनके सिरों को धड़ों से अलग भी कर दिया और ये सिर बहादुर शाह "जफर" के सामने पेश किए गए। अपनी सन्तान के कटे सिरों को देखकर बहादुर शाह ने कहा था—"हम्दुलिल्लाह, तैमूर की औलाद—ऐसे ही सुर्ख-होकर बाप के सामने आया करती थी। मगर इतने से ही हडसन का राक्षस संतुष्ट नहीं हुआ, उसने इन कटे सिरों और धड़ों को खुलेआम सूली पर लटकाने का भी हुक्म दिया।"

"फूट डालो और शासन करो" की नीति अपनाकर अंग्रेजों ने हडसन जैसे अनेकानेक गोरे राक्षसों के कुकृत्य पर परदा डालने के लिए हिन्दुओं और

[शेष पृष्ठ 9 पर]

संसद् का मानसून सत्र—एक झांकी

रघुनाथ सिंह

(संसद का मानसून सत्र । प्रारंभ 17 अगस्त, समाप्ति 18 सितम्बर (1981) । सातवीं लोक सभा का यह छठा सत्र और राज्य सभा का 119वां सत्र था । पांच सप्ताह के सत्र के बाद दोनों सभाएं 18 सितम्बर को अनियत तिथि के लिए स्थगित हुई । 22 सितम्बर को राष्ट्रपति ने सत्रावसान किया ।)

विधायी कार्य

अगस्त-सितम्बर के दौरान संसद की सभाओं ने 26 विधेयक पास किए। इनमें से अनेक विधेयक पिछली सत्रविहीन अवधि के दौरान जारी किए गए अध्यादेशों को कानूनी रूप देने के लिए लाए गए थे। सत्र समाप्त होते न होते लोक सभा में 26 सरकारी विधेयक और 173 गैर सरकारी विधेयक विचारार्थ रह गए थे ।

महत्वपूर्ण चर्चाएं और वक्तव्य

सत्र में अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हुई। इनमें अमरीकी सरकार का यह कथित निर्णय भी था कि वह एफ 16 लड़ाकू विमान और अति-आधुनिक हथियार पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। अन्य विषय थे : कृषि मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित धान के अपर्याप्त मूल्य; श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों पर कथित जातीय हिंसा और हमले; फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने वाली देश के विभिन्न भागों में आई भारी बाढ़ें; देश में ऊर्जा संकट: महाराष्ट्र में कतिपय ट्रस्टों को आय कर की छूट देने के मामले में कथित अनियमितताएं और राज्य में सीमेंट जैसी आवश्यक वस्तु का गलत वितरण; सरकारी क्षेत्र के बिजलीघरों और उर्वरक कारखानों को कोयले की सप्लाई; अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष/एड इंडिया कंसोर्शियम के ऋण; भुगतान के बकाया की स्थिति : देश के विभिन्न भागों में सूखे की विकट स्थिति; तमिलनाडु तथा देश के अन्य भागों में हरिजनों का बड़े पैमाने पर कथित इस्लाम धर्मान्तरण; 1978 में नीलामी द्वारा सोने की बिक्री पर श्री के० आर० पुरी की रिपोर्ट और 1979 के जमशेदपुर दंगों के बारे में जांच आयोग के कथित निष्कर्ष।

हथियारों की होड़

38 सदस्यों के एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 19 अगस्त को राज्य सभा में कहा कि यदि अफगानिस्तान में अमरीका के इरादे पूरे हो जाते तो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ जाता। साथ ही उन्होंने कहा कि रूसी हस्तक्षेप से अफगानिस्तान में खतरा कम नहीं हो गया है। इससे पाकिस्तान को स्वयं को हथियारों से लैस करने का एक बहाना मिल गया है । पाकिस्तान ने हथियार प्राप्त करने की जो होड़ शुरू की है उससे न सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है क्योंकि अपर्याप्त आधार वाला पाकिस्तान इस भारी बोझ को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इससे वातावरण बदल गया है। शांति और सहयोग का स्थान संदेह और तनाव ने ले लिया है।

मूल्य स्थिति

वर्तमान मूल्य स्थिति और उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से सम्बन्ध एक प्रस्ताव पर बहस आरम्भ करते हुए वित्त मन्त्री श्री आर० वेंकटरामन ने 27 अगस्त को राज्य सभा को सूचित किया कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनके फलस्वरूप, मुद्रास्फीति में कमी आई है। यह एक अच्छा रुख है। अनाज, बिजली, कोयले, और इस्पात, का उत्पादन बढ़ा है और ऐसे उपाय किए गए हैं कि अनावश्यक क्षेत्रों के हाथ में पैसा न जाने पाए। उपरोक्त रुख इन्हीं बातों का फल है।

ऐसी ही एक बहस का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने 3 सितम्बर को लोक सभा में अन्य बातों के अलावा कहा कि अर्थव्यवस्था का एक और शुभ लक्षण यह है कि पहली बार सरकारी क्षेत्र ने मुनाफा दिखाया है और यदि यह क्रम बना रहा तो बजट पर इसका अच्छा असर पड़ेगा।

वैज्ञानिक सफलता

सत्र के प्रथम दिवस ही प्रधानमंत्री ने लोक सभा में एक संकल्प प्रस्तुत किया । इसमें दावा किया गया कि एप्पल नामक उपग्रह को अन्तरिक्ष में भेज कर और उससे लाभ उठाने के लिए कार्यक्रम को शुरू करके देश के वैज्ञानिकों ने एक महान सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री के अनुसार इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आंधी-तूफान और अन्य दैवी-आपदाओं के समय संचार व्यवस्था बनी रहेगी। दूर-दराज के इलाकों से सम्पर्क बना रहेगा और गांव-गांव में इसके द्वारा टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जा सकेंगे।

पाकिस्तानी प्रस्ताव

19 अगस्त को लोक सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का प्रस्ताव है कि तनाव को कम करने के लिए पश्चिमी मोर्चे पर सैन्य शक्ति को घटाया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत को सावधान रहना होगा, ऐसा न हो कि वह किसी फन्दे में फस जाएं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह ऐसे हर प्रस्ताव पर विचार करने को हमेशा तैयार रहेंगी जिसका उद्देश्य तनाव को कम करना हो। पर साथ ही उन्होंने कहा कि हमें बड़ी ही सावधानी की जरूरत है क्योंकि प्रस्ताव के साथ-साथ पाकिस्तान ने विरोधी प्रचार भी तेज कर दिया है।

डाक्टरी शिक्षा पर समिति

स्वास्थ्य मंत्री ने 7 सितम्बर को लोक सभा में घोषणा की कि डाक्टरी शिक्षा पर पुनः विचार करने के लिए एक समिति के गठन का निश्चय किया गया है। 6 मास के भीतर यह समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी। इससे गांवों को भी लाभ पहुंचने की संभावना है। यह समिति इस बात पर भी विचार करेगी कि क्या मेडिकल स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों से कहा जा सकता है कि उन्हें कुछ समय के लिए गांवों में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।

छठी योजना

9 सितम्बर को राज्य सभा में छठी योजना पर चर्चा आरम्भ करते हुए योजना मंत्री ने कहा कि छठी योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी का खात्मा और समान अवसरों के साथ उन्नति है। उनके विचार में योजना को सफल बनाने के लिए मुद्रा-प्रसार को रोकना होगा और कीमतों की बढ़ोतरी पर ब्रेक लगाना होगा। इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा।

योजना के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को 21,302 करोड़ की धनराशि जुटानी होगी।

अविश्वास प्रस्ताव

अविश्वास प्रस्ताव पर लोक सभा में 9 घंटे की बहस का उत्तर देते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि विरोध पक्ष के इस आरोप में कोई सार नहीं है कि उनकी सरकार काम नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सभी क्षेत्रों में स्पष्ट कार्यक्रम के आधार पर काम कर रही है। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने आंकड़े दिए जिनसे पता चलता है कि उनके प्रधान मन्त्रीत्व का भार ग्रहण करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में कितनी प्रगति हुई है। प्रस्ताव बहुमत से गिर गया।

संसद सदस्यों की डाक की पड़ताल

विशेषाधिकार उल्लंघन के बारे में अनेक सदस्यों द्वारा दिए गए नोटिसों के उत्तर में लोक सभा अध्यक्ष ने 29 अगस्त को व्यवस्था दी कि सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह संसद सदस्यों की डाक को रोक कर उनकी पड़ताल कर सके। उन्होंने कहा कि 1898 के डाकघर अधिनियम के अनुसार लोक रक्षा तथा शांति के हित में नागरिकों की डाक को सरकार रोक सकती है। संसद के विशेषाधिकार का यह अर्थ नहीं कि संसद सदस्य सामान्य नागरिक से किसी प्रकार भिन्न हैं। राज्य सभा के सभापति ने भी सरकार के इस अधिकार को वैध ठहराया।

सभा नेता

श्री प्रणव मुखर्जी को प्रधानमंत्री ने राज्य सभा का सभा नेता नामजद किया। वह गुजरात से राज्य सभा के लिए पुनः चुन लिए गए हैं। ☐

हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक—बहादुर शाह "जफर" · · · · ·

[पृष्ठ 7 का शेषांश]

मुसलमानों को आपस में लड़ाया—उनके बीच साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाया, जिसकी उपज के रूप में पाकिस्तान आज हमारी नजरों के सामने मौजूद है। वरना इतिहास इस बात का सबूत है कि औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी का घात-प्रतिघात से निकल साम्प्रदायिकता के बावजूद, भारतीय जनमानस साम्प्रदायिक सद्भाव से परिपूर्ण था और हिन्दू-मुसलमान में नफरत का कोई भी भाव न था।

मगर होता है वही, जो मजूरे खुदा होता है। क्रांति विफल रही। लड़ते-लड़ते झांसी की रानी लक्ष्मी बाई वीरगति को प्राप्त हुई। तांत्या टोपे भी पकड़ लिए गए और उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। नाना साहब नेपाल के जंगलों में जा छिपे और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। देश से विदा होते समय आंखों में आंसू भरकर, वतन की मिट्टी को चूमकर, बूढ़े बहादुर शाह ने कहा था:

दरो दीवार पर
हसरत से नजर करते हैं
खुश रहो अहले वतन
हम तो सफर करते हैं।

फिर तो हमारे पांवों में गुलामी की बेड़ियां इस कदर कस गईं कि हम 1947 में मुल्क के आजाद होने तक गुलाम ही बने रहे।

आज हम आजाद हैं। बहादुर शाह जफर ने जो कष्ट और यातनाएं झेलीं, उन्होंने जो त्याग किया, उन सबसे हमको यही नसीहत मिलती है कि हम सब—चाहे हिन्दू हों या कि मुसलमान, बौद्ध हों या कि जैन, ईसाई हों या कि सिख, आपस में मिलकर भाई-भाई की तरह रहें, बाकि जरूरत पड़ने पर एक इंसान की शक्ल में हम दृढ़ता के साथ अपनी आजादी की हिफाजत कर सकें। ☐

पर्यावरण प्रदूषण : मानव जीवन के लिए गम्भीर खतरा

राधे लाल

आधुनिक युग वैज्ञानिक युग कहा जाता है। जहाँ एक ओर इस युग में मनुष्य चन्द्रमा पर भी जा पहुंचा है वहां दूसरी ओर नए-नए विनाशक आविष्कारों से अपने विनाश के कगार पर जा बैठा है। आज विश्व की बड़ी शक्तियां आणविक अस्त्रों के निर्माण की दौड़ में सरपट भर रही हैं। उनकी देखा-देखी कुछ छोटे-छोटे देश भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। आखिर विनाश के लिए नहीं तो और किस लिए? हीरोशिमा और नागाशाकी की घटनाओं को अभी लोग भूले भी नहीं हैं और वहां के विस्फोट जन्य दुखद् परिणामों का नतीजा आज भी भोग रहे हैं। कोई कोढ़ी हो गया है तो कोई अन्धा, लूला-लंगड़ा। आज विनाश की बेला है और विनाश में लोगों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। चारों ओर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यदि किसी देश ने युद्ध की दिशा में पहल शुरू कर दी तो संसार का कण-कण बिखर जाएगा। अतः जरूरी है कि संसार के मनीषी इस आपदा से संसार को बचाने के हेतु आणविक अस्त्रों के निर्माण की दौड़ को खत्म कराने की दिशा में प्रयास करें।

हम चले थे संसार को स्वर्ग बनाने और विज्ञान ने अपने चमत्कार भी दिखाए। आज वह समय है जब कि हम संसार के किसी भी कोने में अपना संदेश एक मिनट में पहुंचा सकते हैं। परन्तु एक समय वह भी था कि अपने समय का महान् सम्राट अकबर को भी असम जैसे दूरस्त प्रदेश में अपने गवर्नर को संदेश पहुंचाने में तीन महीने से भी अधिक समय लगता था। सुख-समृद्धि और आराम के अपार साधन आज हमें विज्ञान ने दिए हैं। इससे उद्योग धन्धों की बाढ़-सी आ गई है। एक तरफ इनसे जबरदस्त समृद्धि आई है और दूसरी ओर गंदगी और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उपस्थित हो गई है। नदी-नालों का पवित्र जल दूषित हो गया है। वृक्षों की कटाई से अनावृष्टि और शुद्ध वायु न मिलने की समस्या भी सामने आई है। प्रकृति में असंतुलन पैदा हो गया है। अतः ऐसी स्थिति में बड़ा जरूरी है कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाए। यह तभी संभव है जब वृक्षों की कटाई को रोका जाए, वनरोपण को प्रोत्साहन दिया जाए। हमारे पूर्वज पीपल आदि वृक्षों को पवित्र मान कर उनकी पूजा आदि किया करते थे जिसे आज का मानव केवल उनका अंधविश्वास समझता है, लेकिन यह सत्य है कि उनका यह अंधविश्वास वैज्ञानिक दृष्टि से उपादेय सिद्ध हो चुका है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि वृक्ष दिन में आक्सीजन तथा रात में कार्बनडाइआक्साइड छोड़ते हैं। आक्सीजन मनुष्य के जीवन के लिए परम् आवश्यक है। पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो रात और दिन दोनों समय आक्सीजन छोड़ता है और कार्बनडाइआक्साइड ग्रहण करता है। वायु मण्डल में जो कार्बनडाइ-आक्साइड है वह वायु मण्डल को दूषित करती है। पीपल तथा अन्य वृक्ष इस कार्बनडाइ-आक्साइड को ग्रहण करके वायु को दूषित होने से बचाते हैं। वृक्षों के लगाने से हमें आक्सीजन तो प्राप्त होगी ही, साथ ही हमें गरमी से बचाने के लिए छाया और हवा मिलेगी। फलदार वृक्षों से हमें फल भी मिलेंगे तथा अनेक प्रकार के विटामिन भी प्राप्त होंगे।

उद्योग धन्धों के कूड़े-कचरे और जल-मल को ऐसे स्थानों पर डाला जाए जहां मानव जीवन के लिए खतरा उपस्थित न हो और मिलों से निकलने वाले गैस और धुंए को फिल्टर करके बाहर छोड़ा जाए।

आज शहरों तक ही नहीं गांवों में भी भौतिक समृद्धि के लिए आपा-धापी की दौड़ लगी हुई है। हर व्यक्ति आपा-धापी भार और तनाव का शिकार है। भारी वाहनों, मिलों, रेल गाड़ियों तथा हवाई जहाजों आदि के शोर-गुल से मानव स्वास्थ्य पर गहरा हानिकारक असर पड़ रहा है। यही कारण है कि आज मानव समाज तरह-तरह के रोगों से आक्रान्त है। कहां हैं आज पहले जैसे वीर-धीर-बलवान युवक? जहां तक उनके खान-पान का संबंध है वह भी शुद्ध सात्विक नहीं रहा। कीट नाशक दवाइयों तथा रासायनिक खादों के प्रयोग से अन्न-जल दोनों ही दूषित हैं। मांस, मछली और मदिरा सेवन का खाद्य में प्रयोग बढ़ जाने से मानव जीवन और भी रोगाक्रान्त हो गया है। उधर रोग दूर करने के लिए आजकल जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है उनमें अधिकांश जहरीली होती हैं। ये औषधियां भी मानव स्वास्थ्य के लिए एक जबरदस्त खतरा हैं। ऐसी दशा में बड़ा जरूरी हो गया है कि मानव जीवन को इन खतरों से मुक्त रखने के लिए इन समस्याओं के समाधान हेतु समुचित कदम उठाए जाएं अन्यथा मानव जीवन का विनाश निश्चित है। प्रकृति अपने विरुद्ध चलने वालों को कभी क्षमा नहीं कर सकती।

आज संसार की जनसंख्या द्रुत गति से बढ़ रही है। यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि पर्यावरण को दूषित करने में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे अपने देश में मुगलों के जमाने में जनसंख्या केवल 10 करोड़ थी, लेकिन अब 68 करोड़ के लगभग है। यह ठीक है कि हमारी वसुन्धरा में अभी भी इससे बढ़कर जनसंख्या को खिलाने-पिलाने की क्षमता है, लेकिन जिस

[शेष पृष्ठ 12 पर]

निष्काम कर्मयोगी : संत श्री गाडगे

देवेन्द्र कुमार बैसन्तरी

"जिस निष्काम प्रवृत्ति का यह धर्मशाला फल है, उसमें जिस दिन तिल भर भी अन्तर आया उसी दिन यह अपने स्थान उस टेकरी से डगमगा कर गिर पड़ेगा और गोदावरी मां की गोद में सदा के लिए समा जाएगा।"

यह चेतावनी संत गाडगे ने अपने स्थित धर्मशाला के प्रागंण में बातचीत के दौरान अपने सहयोगियों को दी। वार्तालाप में, जिसे श्री के० सी० ठाकरे ने अपनी मराठी पुस्तक "श्री संत गाडगे बाबा" में उद्धृत किया है उस प्रवृत्ति पर प्रकाश पड़ता है, जिसका जिक्र उपरोक्त वाक्य में आया है। बातचीत के बाकी संबंधित अंश का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है :–

"क्या इस धर्मशाला को हमने बनाया या आपने? कदापि नहीं। सरकार ने जमीन दी, उदार दाताओं ने धन और मजदूरों ने परिश्रम किया। क्या इस का श्रेय हमारी कल्पना को है? पर सिर्फ कल्पना से होता क्या है? हां इन सभी की उदारता का लाभ हमें अवश्य मिला है। इस धमशाला में हजारों लोग आते हैं और सुखपूर्वक रहते हैं। उनके आनन्द को हम आंख भर कर देखें यही हमारे हिस्से में है।"

संत गाडगे को महाराष्ट्र के लोग संत तुकाराम का अवतार मानते हैं। इनका जन्म अमरावती जिले (महाराष्ट्र) के शेणगांव में मताशवरात्रि के दिन (23-2-1876) को हुआ था और मृत्यु दिसम्बर, 20, 1956 को। एक फरवरी 1905 के 3 बजे रात में एक सुखी तथा सम्पन्न परिवार को सदा के लिए छोड़कर उन्होंने समाज सेवा का जो कंटकाकीर्ण मार्ग चुना उस पर वे जीवन पर्यन्त अडिग चलते रहे।

संत गाडगे दीन और दुखी जनता की सेवा को ही ईश्वर की असली पूजा मानते थे। इनको सुविधा तथा सहायक के लिए उन्होंने भीख मांग-मांग कर नाशिक आलिंदी, पंढरपुर, देहू जैसे तीर्थ स्थानों पर राज्य प्रासाद जैसे 12, अधिक धर्मशाला तथा महाराष्ट्र के कोने-कोने में स्कूल छात्रावास, गोशाला, अस्पताल, प्याऊ की स्थापना की थी जिनकी कीमत आजकल दो करोड़ रुपये से भी अधिक है। इन कार्यों की ओर संकेत करते हुए इतिहासकार और संत परम्परा के धुरंधर विद्वान आचार्य श्री एन० आर० फाटक ने श्री प० इ० पाटिल की मराठी पुस्तक 'दीनांचा कैवारी : संत गाडगे बाबा' के अपने प्राक्कथन में लिखा है, "अपनी निस्पृह समाज सेवा और निरक्षर होते हुए भी अपने अनुभव जन्य उपदेशों से एक 30–35 वर्ष का डेबूजी नामक युवक हजारों लोगों को पागल बना देता है और उसके सहयोग से, उन्हीं के कल्याण के लिए लाखों रुपये की अनेक लोकोपयोगी संस्थाओं की स्थापना करता है। इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहा जा सकता है।"

संत गाडगे सच्चे अर्थ में निष्काम कर्मयोगी थे। अपने लोक उपर्युक्त कल्याणकारी संस्थाओं के लिए इन्होंने धन ही संग्रह नहीं किया बलिक स्थान के चुनाव से लेकर उनके निर्माण के अंतिम चरण तक के सभी कार्य जैसे व्यय-अनुमान नक्शा, बनाने इत्यादि के काम उनकी व्यक्तिगत देखरेख में सम्पन्न हुए। अपने निर्माण कार्यों के लिए यद्यपि उन्होंने किसी इंजीनियर की सहायता नहीं ली फिर भी उनमें न तो वास्तुकलागत सौन्दर्य की कहीं कमी है और न सुख-सुविधा के वर्तमान उपकरणों की। आरम्भ से लेकर अंत तक फावड़ा और कुदाल थामे स्वयं संत गाडगे तथा उनके परिवार के लोग मजदूरों के साथ-साथ काम करते और साथ ही साथ भोजन भी।

ज्यों ही निर्माण कार्य समाप्त हो जाता, वे उसके प्रबन्ध का काम एक ट्रस्ट को सुपर्द कर देते थे। ट्रस्ट के अन्य नियमों में एक यह भी होता कि संस्था में न तो स्वयं संत गाडगे का और न उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य का कोई भी अधिकार होगा यहां यह बता देना असंगत नहीं होगा कि जिस महामानव ने दूसरों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की अनेक संस्थाएं स्थापित की, अपने स्वयं के लिए जीवन पयन्त एक कुटिया भी नहीं बनवायी। सारा जीवन उसने या तो धर्मशाला के प्रांगण स्थित किसी वृक्ष के नीचे या धर्मशालाओं के ओसारों में ही बिताया उनका एकमात्र पुत्र गोविन्द अपने विद्यार्थी जीवन में भीख मांग कर गुजारा करता था। स्वयं संत गाडगे भी भीख में मिली रोटी पर ही अपना निर्वाह करते थे। अपनी पत्नी सौ० कुंताबाई के लिए स्वयं अपने हाथों से उन्होंने एक मड़ैया बना दी थी जो उनके साथ-साथ महाराष्ट्र के भिन्न-भिन्न भागों में भ्रमण करती थी। यही नहीं कुंताबाई के गाढ़े-पसीने की कमाई को भी वे गरीबों में बांट देते थे।

संत गाडगे से संबंधित निम्न दो घटनाओं का, जिनसे उनको निष्काम एवं

निस्पृह प्रवृत्ति पर प्रकाश पड़ता है, जिक्र कर देना आवश्यक प्रतीत होता है।

एक दिन पंढ़रपुर के उनके प्रवास काल में संत गाडगे से, 'राष्ट्र संत' उपनाम से विभूसित एक सज्जन मिले और एक राजनैतिक दल विशेष को अपना समर्थन देने के लिए अनुरोध किया। उससे होने वाले अनेक लाभों से भी उन्होंने संत गाडगे को अवगत कराना चाहा। पर बातचीत को बीच में ही काटते हुए संत गाडगे ने कहा "भाई मैं तो एक अंगूठा छाप अनाड़ी हलवाहा हूं आप की राजनीति संबंधी बातें मेरी समझ से परे हैं। सच तो यह है कि जिसगांव में मुझे जाना ही नहीं उसका रास्ता जान कर मैं क्या करूंगा" इस स्पष्टोक्ति के बाद बातचीत का वह सिलसिला वहीं समाप्त हो गया। यहां यह बता देना शायद असंगत न हो कि उन दिनों की जनता विशेषकर गांवों में रहने वाली जनता पर संत गाडगे का प्रभाव सर्वविदित था और उन्हें अपनी तरफ खींचने के प्रयत्न प्रमुख दलों की ओर से प्रायः हुआ करते थे। पर संत गाडगे का सदा से विचार, राजनीतिक दल-दल से दूर रह कर, सबके सहयोग से जनता जनार्दन की सेवा करना था।

दूसरी घटना रेल यात्रा के 'पास' से संबंधित है। एक बार तत्कालीन जी० टी० रेलवे के अधीक्षक ने संत गाडगे के कार्यों की महत्ता को देखते हुए उनमें गति लाने की इच्छा से उनकी तथा उनकी मंडली के लोगों को रेल पास देने का निर्णय लिया। संत गाडगे को प्रथम श्रेणी का पास देने का निर्णय था जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अपने और मण्डली को दिए गए तीसरे श्रेणी के पास को भी उन्होंने कुछ दिनों के बाद लौटा दिया और पद-यात्रा को पुनः अपना लिया।

प्रबल जन-समर्थन के बावजूद भी मानसिक संतुलन बनाए रखे ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। पर इसके विपरीत उन दिनों भी जब उनकी ख्याति चरम सीमा पर थी, संत गाडगे विनय और नम्रता की साक्षात मूर्ति थे। नीचे लिखी घटना इसकी साक्षी है। ——संत गाडगे की लोक प्रियता से लाभ उठा कर बहुत से लोग उनके नाम पर जीते-खाते थे। एक बार महाराष्ट्र की कई पत्र-पत्रिकाओं में एक सूचना छपी कि एक अमुक भजन मण्डली, जो चारों धामों की यात्रा समाप्त कर के लौटी है, पंढ़रपुर में एक महायज्ञ का आयोजन कर रही है। यह भी बताया गया था कि वह यज्ञ संत गाडगे की देखरेख में हो रहा है जिसमें हिमालय से सेतुबंध रामेश्वर तक के कई बड़े योगी और सिद्ध उपस्थित होंगे। इसके पश्चात् यज्ञ के अगुआ संत गाडगे से अलिंदी में मिले और यज्ञ में पधारने के लिए उनसे निवेदन किया। संत गाडगे ने जब आने से साफ इंकार कर दिया तो अगुआ महोदय ने अड़ोस-पड़ोस के लोगों से उन पर जोर देने के लिए कहा। यह प्रकरण उस समय समाप्त हुआ जब संत गाडगे ने यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपनी शर्त रखी कि उन्हीं पत्र-पत्रिकाओं में फिर से सूचना छपाई जाए कि संत गाडगे अपने सहकर्मियों के साथ यज्ञ में उपस्थित-साधु संतों के जूठन इत्यादि को उठाने के लिए वहां हाजिर होंगे।

संत गाडगे की निष्काम प्रवृत्ति के द्योतक एक मराठी पद्य को उद्धृत करना अनुचित नहीं होगा। पद्य इस प्रकार है:

> कण-कण करुनी कोटि केले,
> कण न खर्चीला स्वहित साठी
> वण वण फिरुनी कण कण झिजला,
> बाबा दुखी जनते साठी।

यानी जंगल-जंगल की खाक छान कर बाबा ने गरीबों के लिए पैसा मांग कर करोड़ों रुपया इकट्ठा किया। पर उसमें से अपने लिए उन्होंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया।

जिस महापुरुष ने लाखों दीन और उपेक्षित व्यक्तियों के अंधकारमय जीवन में आशा और विश्वास की ज्योति जगाई और जिसने कृतज्ञ और श्रद्धालु लोगों से फूल का एक हार भी जीवन पर्यन्त स्वीकार नहीं किया, कभी चरण स्पर्श नहीं करने दिया उसके कार्यों और विचारों की प्रासंगिकता और आवश्यकता आज कुछ अधिक ही है। ▭

पर्यावरण प्रदूषण : मानव जीवन के लिए गम्भीर खतरा

[पृष्ठ 10 का शेषांश]

गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसे हम जन-संख्या विस्फोट का ही रूप कह सकते हैं और उससे खाद्यान्, रहन-सहन, गन्दगी आदि की गम्भीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसी लिए हमें अपनी जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए।

हमारी सरकार इन समस्याओं के समाधान के प्रति उदासीन नहीं है। पर्यावरण के दूषण को बचाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह नारा दिया है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाओ। इसके लिए उनका सुझाव है कि "हर बच्चे के लिए एक पेड़" अर्थात् हमें अपने परिवार तथा बच्चों के लिए खाने, रहने तथा रोजगार आदि की समस्या ही नहीं सुलझाना बल्कि हमें उनको शुद्ध वायु तथा शुद्ध वातावरण के लिए प्रत्येक के लिए एक-एक वृक्ष लगाना है। इन वृक्षों से मनुष्य अपनी सांस लेने के लिए शुद्ध वायु को तो उत्पन्न करेगा ही तथा मन को प्रसन्न तथा लुभावने वाली हरियाली और फूलों को पैदा करेगा।

अब विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा है, परन्तु इतने से ही यह समस्या नहीं सुलझ जाती। इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं को मारना होगा, प्रति स्पर्धा दूर करनी होगी, जनसंख्या को बढ़ने से रोकना होगा। वनों की सुरक्षा करनी होगी, आणविक अस्त्रों जैसे विस्फोटक पदार्थों के निर्माण पर रोक लगानी होगी। तभी मानव शुद्ध वातावरण में रह कर सांस ले सकेगा। ▭

परिवार नियोजन कार्यक्रम से जन्म दर घटी

*

डा० प्रेम शरण शर्मा

काफी दिनों से एक बात मेरे मन में कसक रही है। कुछ दिन पहले गांव गया था। दूर के रिश्ते की चाची के पैर छुए तो उन्होंने गद्‌गद्‌ होकर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया—"जुग जुग जियो बेटा, दूधन नहाओ और......"

आगे आप भी समझ गए होंगे। मुझे तो बुरा लगा, आपको पता नहीं कैसा लगे? इसी सिलसिले में एक पुरानी बात और याद आ गई। नई-नवेली बहू घर में आई, पड़ौस की बड़ी-बूढ़ी ने आशीर्वाद दिया—दस-दस बच्चों की मां बनो। बहू भी खुश और बढ़ी-बूढ़ी भी। वास्तव में वह दस बच्चों की मां बनी भी, दुआएं रंग ला रही थीं। लेकिन धीरे-धीरे रंग बदरंग होने लगा। बहू तो इसलिए परेशान कि वह घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। कोई न कोई बच्चा दूध पीता होता। घर वाले को इसलिए चैन नहीं कि कोई न कोई हर समय बीमार। हर रोज वैद्य डाक्टर के यहां खड़ा रहना पड़ता। काम छूटता वह अलग। पैसा खर्च होता वह अलग। घर वाली भी बीमार रहने लगी। घर वाला परेशान। बच्चों की फौज इकट्ठी हो गई। एक दिन उस घर का छप्पर तक बिक गया। बहू को आज यह ज्ञात हुआ कि उस बुढ़िया ने दस-दस बच्चों की मां बना कर आशीर्वाद दिया था, किसी दुश्मनी का बदला लिया था। तभी एक दिन उस बुढ़िया के पोते की नई दुल्हन ने उसके पैर जो छुए तो उसने "पहले मारे सो मीर" वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए बिना समय गंवाए अपना दस-दस बच्चों की मां बनने वाला आशीर्वाद दे दिया। कम से कम उसे मन में संतोष हो गया कि आज मैंने अपना बदला ले लिया है।

मुझे यह कहानी मेरे एक मरीज ने सुनाई थी और मैंने कबीर की चदरिया की तरह जैसे की तैसे आपको बता दी।

इसी तरह की अनेक कहानियां हमारे विशाल देश में अनगिनत हैं। क्योंकि भारतवासी भी तो अनगिनत हैं। मेरा मतलब, संख्या में बहुत अधिक हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हमारा देश दुनिया की अधिक जनसंख्या वाले चार-देशों में से एक है। और चारों में इसका दूसरा स्थान है। भले ही यहां के 48 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से भी नीचे के स्तर पर रह रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को ज्ञात नहीं होगा कि 1981 की जनगणना के आधार पर अब हम 68,38,10,051 हैं जबकि दस वर्ष पहले हम 54,81,59,652 थे। अर्थात् दस वर्षों में हम में 13,56,50,399 की बढ़ोतरी और हो गई। अर्थात् 24.75 प्रतिशत जनसंख्या की बढ़ोतरी और हो गई। एक बात और बता दूं कि पढ़-लिख कर हमने एक दशक में इतनी वृद्धि कर ली जितनी कि 1901 से 1951 तक, यानि पचास वर्षों में भी नहीं हुई। जी हां, हमने पढ़-लिख कर ही तो यह स्कोर कायम किया है। यह भी देख लीजिए—1901 में जबकि विभाजन यानि पाकिस्तान नहीं बना था, भारत में 5.35 प्रतिशत लोग साक्षर थे और अविभाज्य भारत की जनसंख्या 23,83,96,327 थी। आज 1981 में जबकि भारत का काफी बड़ा भाग पाकिस्तान के रूप में कट गया है, तब भी जनसंख्या 68,38,10,051 है। इस पर भी यह तब है जबकि असम और जम्मू-काश्मीर राज्यों की जनगणना अभी बाकी है। जबकि साक्षरता का प्रतिशत 5.35 से बढ़कर 36.17 हो गया है। तो हमने पढ़ लिखकर ही यह जनसंख्या बढ़ाई है। अरे साहब, आप मेरी बात अब भी नहीं समझ रहे हैं? हम पढ़े-लिखे किस बात के हैं जब हमें हिसाब का छोटा सा सवाल भी हल करना नहीं आता। यदि हमारे घर में चार कमरे हैं तो हम इतने मेहमान क्यों बुलाए कि उनके लिए चार कमरे भी कम पड़ें। कोई पड़ोसी तो अपना घर देने से रहा।

और भी सरल तरीके से समझ लीजिए। चार आदमियों के लिए अगर एक किलो आटा लगता है। यदि पांचवां आदमी आ जाए तो वह उन्हीं चार के हिस्से में से ही खाएगा। चलो, पांचवां तो निभ गया किसी तरह, लेकिन अगर

पांच की जगह नौ हो गए तो सभी को भूखों मरना होगा।

यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,782 वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत है। जबकि दुनिया की जनसंख्या का 15.53 प्रतिशत भाग भारत भूमि पर रहता है।

हम भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश को लेते हैं। अन्य राज्यों की तुलना में इस प्रदेश का पहला नम्बर है यानी 11,08,58,019 और साक्षरता में 25वां नम्बर है यानी 27.38 प्रतिशत। जबकि केरल का नम्बर साक्षरता में प्रथम है यानि 69.17 प्रतिशत। इससे तो यही मोटा अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जहां जितने अधिक लोग अनपढ़ होंगे वहां की जनसंख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। वैसे यह देखा गया है कि कामकाजी और पढ़ी-लिखी महिलाओं की प्रजनन शक्ति कम होती है। इसका भी एक कारण है जैसा कि मैंने अनुभव किया है। मेरे संपर्क में आने वाली पढ़ी-लिखी महिलाएं पारिवारिक मामलों पर कम बात करती हैं। उनकी बातचीत के विषय और बहुत से हैं। हां, यदि किसी कारण उनके मासिक क्रम में एक दिन का भी हेरफेर होता है तो पति-पत्नी दोनों ही परामर्श लेने में देर नहीं लगाते। इसके विपरीत अनपढ़ लोग ऐसी बातें करने में झिझकते हैं। अगर हिम्मत कर भी लें तो अपने मां-बाप से छिपा कर बात करते हैं। पुराने ख्यालों के लोग लकीर के फकीर होने के कारण आने वाले के रास्ते में कोई रुकावट पसन्द नहीं करते। भले ही घर पर खाने को न हो, पर बाबा, दादी कहने वालों की भीड़ उनके चारों ओर लगी रहनी चाहिए। ऐसा सोना पहनने से क्या फायदा, जो नाक और कान दोनों को नुकसान पहुंचाए।

भारत सरकार तो इस ओर पूरी तरह सजग है लेकिन जब तक जन-सहयोग नहीं मिलेगा, सरकार क्या कर सकती है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के कारण पिछले दशक में 3.7 करोड़ जन्म होने से रोके गए हैं। बार-बार गर्भपात कराने से औरत की सेहत कभी भी ठीक नहीं रह पाती। इसलिए मैं अपने मरीजों को सलाह देता हूं कि अब तो जो होना था हो गया आगे ऐसा मौका न आए कि अनचाहा मेहमान घर में आए। सीधी सी बात है या तो आपरेशन करा लो और चैन की नींद सोओ, अन्यथा कुछ ऐसा करो कि गर्भपात न कराना पड़े। हर वर्ष भारत में एक आस्ट्रेलिया बनता जाएगा। हैरत की बात तो यह है कि आस्ट्रेलिया की 1.3 करोड़ जनसंख्या की आय भारत के 68.40 करोड़ लोगों जितनी है। यानी भारत में जितनी आय 60 आदमियों की है, वहां उतना एक आदमी कमाता है। यूं तो भारत की गिनती उत्पादन के हिसाब से विश्व में 10वें या 12वें स्थान पर है लेकिन विश्व बैंक ने हमें 106वें स्थान पर रखा है।

इन्हीं सब समस्याओं को हल करने के लिए सांसदों का एक भारतीय संघ बनाया गया है। 25 मई 1981 को इस संघ ने तय किया है कि प्रत्येक सदस्य हर वर्ष अपने क्षेत्र के 1000 परिवारों से व्यक्तिगत संपर्क करेगा और परिवार नियोजन के लाभ और उसकी आवश्यकता को समझाएगा।

इसी संघ का उद्‌घाटन करते हुए हमारी प्रधानमंत्री, श्रीमती गांधी ने कहा "हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकारी स्तर पर चलाया है। इन वर्षों में इस कार्यक्रम से लोगों में और कम से कम शिक्षित वर्ग में जनसंख्या वृद्धि की गति को सीमित करने की आवश्यकता के बारे में जागृति अवश्य पैदा हुई है। गांवों में परिवार नियोजन का एक विस्तृत आधारभूत ढांचा खड़ा किया है और अनेक पैरा मेडीकल और विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।"

इसी सिलसिले में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री बी० शंकरानंद ने कहा था—"वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि हमें आराम से बैठने दे। यदि जनसंख्या की वृद्धि की गति वही रही जो आज है तो भी हमें लोगों के अच्छे भविष्य की आशा के लिए गहरी चिन्ता ही बनी रहेगी। सन् 2000 ई० तक हमारी जनसंख्या 106.5 करोड़ हो जाएगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 1995-2000 तक जन्म दर को 21 और मृत्यु दर को 9 तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अतः हमने जितना रास्ता अब तक तय किया है, उससे भी बहुत आगे जाना है, जबकि पथ भी अधिक कठिन है।"

परिवार कल्याण विभाग ने एक नारा दिया है जो देहातों की दीवारों पर लिखा दिखाई देता है—"विवाह योग्य वर की आयु 21 वर्ष, व कन्या की आयु 18 वर्ष कानूनन करार दी गई है।" इसी सम्बन्ध में 'चांद' मासिक पत्र के जुलाई 1931 के अंक में पृष्ठ 322 पर कुछ पंक्तियां छपी थीं—"योग्य विवाह से ही कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि विवाहितों को अपनी क्षमता तथा आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संतानोत्पत्ति की बात सुझाई जाए। बिना विचारे अपरिमित और अनावश्यक संतानोत्पत्ति से समाज की महाहानि है। इसलिए माता-पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके उतनी ही संतान हों जितनों की देख-भाल और पालन-पोषण वे अच्छी तरह से कर सकें।

यदि संतान योग्य हो तो एक या दो ही काफी हैं, अन्यथा भेड़ों की कतारों से देश या समाज का कुछ लाभ नहीं। हमारे यहां "सुपुत्र" के लिए चन्द्रमा की उपमा दी गई है।

कहा है कि एक चांद घने अंधकार को दूर कर देता है। लेकिन असंख्य तारागण कुछ नहीं कर सकते। पहली संतान अभी चलने भी नहीं पाई कि दूसरी की तैयारी शुरू हो गई।"

इसी लेख में आगे लिखा है—यहां पर एक बात यह उठती है कि संतान कम या इच्छानुसार हो, यह बात क्या अपने अधिकार या वश की है? किस प्रकार नीति, न्यायपूर्ण संतानोत्पत्ति में रुकावट डाली जा सकती है, इस विषय के विवेचन के लिए इस लेख में स्थान नहीं है। पर यह अवश्य कहना पड़ता

है कि आजकल पाश्चात्य देशों में इस विषय पर बड़े जोरों से चर्चा है और ऐसी सैकड़ों पुस्तकें छप गई हैं जिनमें इस विषय पर बड़ी गम्भीर और विशाल विवेचना की गई है। यहां पर लिखना अनुचित न होगा कि अगर भारत अन्य बातों में पाश्चात्य देशों का अनुकरण कर रहा है तो उसे इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए।

ये पंक्तियां आज से पचास वर्ष पूर्व लिखी गई थीं; जबकि अविभाज्य भारत की जनसंख्या 251,321,213 थी और आज 68,38,10,051 है जबकि इस देश के तीन भाग हो चुके हैं; और असम तथा जम्मू-काश्मीर की जनगणना इसमें नहीं जुड़ी है। तब तो हमें इस समस्या से सुलझने के लिए युद्ध-स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी।

गर्भपात कब और किसके द्वारा

मैंने ऊपर बताया कि पिछले दशक में 3.7 करोड़ गर्भपात कराए गए। लेकिन क्यों कराए गए। वे या तो चिकित्सा की दृष्टि से उचित नहीं थे अथवा अवैध थे। भारत में हर वर्ष करीब 40 लाख महिलाएं अनचाहा गर्भ गिरवाती हैं। वैसे तो कानून के अन्तर्गत गर्भपात वैध है। अस्पतालों में इसकी मुफ्त व्यवस्था है। लेकिन गर्भपात मंजूरशुदा सरकारी अस्पतालों में ही कराया जाए, जहां हर प्रकार की सुविधा है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में गर्भपात कानून सम्मत है।

(1) जब गर्भ के कारण मां को खतरा हो।

(2) जब इस बात की जरा भी आशंका हो कि गर्भस्थ शिशु मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हो।

(3) जब गर्भधारण बलात्कार के कारण हुआ हो।

(4) जब आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से किसी प्रकार की हानि होने की आशंका हो।

(5) जब गर्भ निरोधक दवाओं के फेल हो जाने पर गर्भ रह गया हो।

गर्भपात किनके द्वारा कराया जाए।

(1) जो प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान में स्नातकोतर उपाधि प्राप्त चिकित्सक हो।

(2) जिन्हें प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

(3) वे डाक्टर, जिन्होंने इस विषय में 6 महीने तक "हाऊस जाब" किया हो, या किसी स्वीकृत अस्पताल में गर्भपात का प्रशिक्षण लिया हो।

आप्रेशन आसान और सरल है

गर्भपात करने के लिए सबसे अच्छा समय बारह सप्ताह का है। यूं तो अधिक समय तक का गर्भ गिराया जा सकता है, पर वह खतरे से खाली नहीं होता। 12 सप्ताह का अर्थात् तीन माह के गर्भपात में कोई परेशानी नहीं होती। मरीज को फौरन घर भेज दिया जाता है। लेकिन अगर रक्तस्राव अधिक हो अथवा बुखार हो तो मरीज को अस्पताल में रोक भी लिया जाता है। ऐसी हालत में अगर किसी अनाड़ी डाक्टर या नर्स से गर्भपात कराया जाए तो जान पर आ बनती है। मेरे सामने कई मामले ऐसे आए हैं, जिनमें शर्म के कारण अपनी कठिनाई न बता पाने की वजह से वे किसी अनट्रेण्ड नर्स के पास चले गए और अधिक रक्तस्राव के कारण उन महिलाओं की मृत्यु हो गई। अपनी शर्मीली आदत के कारण वे उन मामलों को पुलिस को भी नहीं दे पाए।

कुछ भी हो इस मामले में संकोच नहीं करना चाहिए। अस्पताल में जाने पर आपसे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाएगी। यहां तक कि यदि मरीज अपना पता ठिकाना भी न बताना चाहे तो वह भी उसकी मर्जी पर है। मरीज की सभी बातें गुप्त रखी जाएंगी।

सबसे अच्छा और आसान तरीका यह है कि अगर परिवार में बच्चों की संख्या सही है तो मां दो बच्चों के लिए नसबन्दी (ट्यूबेक्टामी) ही सही उपाय है। यह गर्भपात के समय अथवा बच्चे के जन्म के समय ही कर दिया जाता है। पिता के लिए भी नसबन्दी ही सबसे उत्तम गर्भ निरोधी उपाय है। यदि मां अगले बच्चे के जन्म में अन्तर रखना चाहती है तो इसके लिए खाने की दवा अथवा "लूप" आदर्श गर्भ-निरोधी उपाय है।

नई ईजाद

वैज्ञानिकों ने पाया है कि अंग्रेजी के "टी" अक्षर के आकार की एक गर्भ निरोध विधि "कापर टी" भारतीय महिलाओं के लिए बहुत उपयुक्त है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने भारत सरकार को सुझा दिया है कि इस विधि को "लिपीस लूप" के साथ राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाए। एक बार इस्तेमाल करने पर यह विधि लगातार तीन वर्ष तक काम दे सकती है।

बहरहाल, हमने इस एक दशक में कार्य किया। हमारी जनसंख्या कहां थी, कहां जा पहुंची है। अब से पचास वर्ष पहले हम शिक्षित नहीं थे। आज हम शिक्षित भी हैं। फिर भी हम पढ़-लिख कर भी अपढ़े रहे। एक कहावत मशहूर है—

पढ़े फारसी बेचें तेल
ये देखो कुदरत के खेल। □

छोटा परिवार सुखी परिवार

सर्वधर्म समभाव की साधना स्थली : पंचशील मन्दिर

✳

डा० योगेन्द्र नाथ शर्मा 'अरुण'

मनु पुत्र मानव की मूल प्रकृति है, स्नेह, सदभाव, सहानुभूति की दिव्य गंगा-जमुना-सरस्वती का संगम बनाकर जीवन को 'तीर्थराज प्रयाग' बना देना, जहां पहुंच कर ईर्ष्या, द्वेष, विघटन आदि अपने-आप मिट जाते हैं। भावना की राह का पथिक बनकर मानव निरन्तर जीवन की मंजिल को चलता रहा, लेकिन कभी-कभी बुद्धि अपने समर्थतम प्रहरी 'तर्क' को लेकर जब भावना का मार्ग रोककर खड़ी हो गई, तब-तब परिवर्तन का आकांक्षी मानव बुद्धि का दास बन गया और उसका जीवन सरल होने के स्थान पर "संघर्ष का घर" बन गया। विज्ञान मानव की 'भावना' पर हावी होता गया और संगठन का सूत्रधार 'धर्म' बिखराव तथा भटकाव का संदेशवाहक बन गया।

धर्म, जो परम-तत्व की सी व्यापकता और गहनतम सूक्ष्मता का संवाहक बनकर भावनाशील मानव के जीवन को दिव्य प्रेम एवं आत्मीयता के अमृत से सींचता रहा, जाने कब और क्यों, बेहद संकुचित होकर, मानव हृदय में, 'स्वार्थ' बनकर घुस बैठा और फिर हिंसा, घृणा, वैमनस्य, बिखराव, अशांति आदि का शोर बढ़ता ही गया। आज आदमी भाग रहा है अपने आप से, अपने आसपास के आदमी से, हर आदमी से।

इस भयानक स्थिति में त्रस्त हर आदमी खोज रहा है इस स्थिति का कारण, लेकिन उसका अहं और उसका स्वार्थ उसे विस्तृत दृष्टि पाने दे, तब तो कारण उसे पता चले? कोल्हू के बैल की तरह, आंखों पर पट्टी बांधे वह चलता तो निरन्तर है, लेकिन चलता है सिर्फ एक निर्धारित घेरे के भीतर-भीतर, इसलिए परिश्रम के बाद भी उस की यात्रा का परिणाम है 'शून्य'! उसके जीवन में बढ़ता हुआ सूनापन और एकाकीपन!

आज हम सांस्कृतिक मूल्यहीनता के कारण उत्पन्न एक ऐसे शून्य में छटपटा रहे हैं, जहां नंगापन और वहशीपन 'सभ्यता' की संज्ञा पा चुका है। धर्म, का रूप, परिभाषा और मानदण्ड——सभी तो बदल गए हैं। धर्म टुकड़ों में बंटकर अब हर गली में और हर शहर में ऐसी 'दुकान' बन गया है, जहां, 'पब्लिसिटी' की चकाचौंध में "नकली" धड़ल्ले से बिकता है और 'असली' छटपटा रहा है। राजनीति का प्रभुत्व इतना बढ़ा कि अब 'सत्ता' ही सर्वोत्तम धर्म है और 'नेता' ही सबसे बड़ा भगवान जिसके इर्द-गिर्द 'काले धन' का उजला चोगा पहने अनेक भगवान अपनी दुकान सजाए बैठे हैं। धर्म बेचारा रोज निरीह, निर्दोष, अभागे मनुष्यों के रक्त की नदियां 'अपने नाम पर' बहती देखकर सन्न है। चुपचाप सोच रहा है कि यह सब क्यों होता है?

राजनीति जिसे ध्वस्त कर देती है, धर्म और दर्शन उसे नवजीवन देकर पुनर्प्रतिष्ठित करते हैं। राष्ट्र निर्माता पं० जवाहरलाल नेहरू ने कभी विश्व-मानवता के कल्याण की भावना से 'पंचशील सिद्धांत' को जन्म दिया था, जिसे उनके जीवनकाल में ही राजनीतिज्ञ चीन ने संगीनों की नोक पर रखकर विदा दे दी थी। उसी बंधुत्व एवं मानवता की अमृत भावना के संवाहक 'पंचशील' को रुड़की में पुण्य सलिला गंगा के तट पर, दर्शन के अमृत से पुनः जीवन देकर एक भव्य मन्दिर का रूप दिया जा रहा है। इस मन्दिर में धर्मों की मूलभूत एकता के स्वरों को संजोकर विश्व-मानवता के कल्याण का सपना जिस युवा हृदय ने देखा, वह "एकला चलो रे" के उद्घोषक विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की धरती में जन्मा, साधारण सा इन्सान है—जिसका नाम है आर० एन० मुखर्जी।

सर्वधर्म समन्वय का प्राचीन भारतीय आदर्श लिए रुड़की का बहुचर्चित एवं अनूठा 'पंचशील मन्दिर' विश्व के पांच प्रमुख एवं महान धर्मों के प्रतीकों को लेकर बढ़ती हुई सांप्रदायिक-विद्वेष

की आग को शांत करने का लक्ष्य लेकर बनाया गया है । सभी धर्म एक 'मूल सत्य' को लेकर चलते हैं । फिर भी इनमें बैर-भाव आ जाता है रक्त की प्यास भड़क उठती है—आखिर क्यों ?

गहराई से देखें, तो मूल तत्व एक ही है—'मानवता'। इस मूल तत्व की रक्षा के लिए युगान्तकारी महापुरुषों ने समय-समय पर मानव को 'सर्व धर्म समभाव' की शिक्षा दी है । 'मानव धर्म' ही कहीं हिन्दू, कहीं मुस्लिम कहीं सिक्ख, कहीं बौद्ध और कहीं ईसाई धर्म कहलाया, लेकिन संकीर्णता और स्वार्थपरता के कारण हर धर्म के मतावलम्बी स्वयं को सबसे ऊंचा और अन्यों को सबसे नीचा मानने लगे । सांप्रदायिकता की आग में प्रेम, सहानुभूति बन्धुत्व और सहयोग—सब कुछ जलता गया और हम अपने 'अहं' के गहरे अंधे कुंए में डूबे रहे ।

सभी महान—सभी समान

विश्व कल्याण की उदात्त भावना के महान उद्घोषक स्वामी विवेकानन्द ने कहा था :— "हमारा पूज्यनीय स्थान एक ही स्थान पर हो, जहां सब धर्मों के लोग मिलकर एक ही स्थान पर अपने आराध्य देव की आराधना कर सकें" —और इन्हीं शब्दों से प्रेरणा लेकर बंगभूमि के एक जिज्ञासु युवक ने 'पंचशील मन्दिर' बनाने का सपना देखा, जो आज उत्तर प्रदेश की इस सबसे बड़ी तहसील 'रुड़की' में साकार हो चुका है ।

रुड़की यूनिवर्सिटी के बोट-क्लब के सामने गंगा नहर के तट पर बने इस पंचशील मंदिर में 'मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, बौद्ध स्तूप एवं मन्दिर' सभी एक साथ बने हैं, जहां श्रद्धा और प्रेम का दिव्य संगीत गूंजता है । हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई और बौद्ध सभी यहां आकर नत होते हैं और भेदभाव भूलकर 'एकता-समता-स्नेह' की त्रिवेणी में नहाकर स्वयं को कृतार्थ करते हैं ।

इस मन्दिर के निर्माण में युवा दार्शनिक श्री आर० एन० मुखर्जी, जिन्हें इस नगर में "वियोगी जी" कहा जाता है, ने अपना तन-मन-धन लगाकर

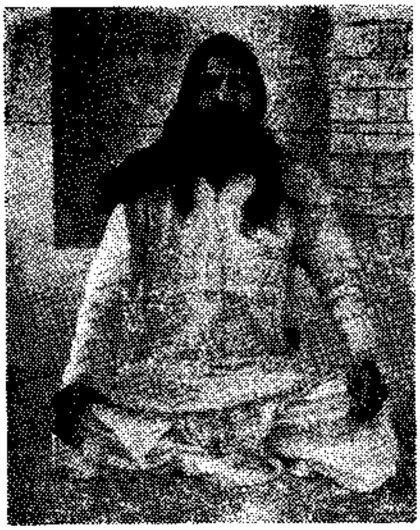

इस अनुकरणीय आदर्श को यथार्थ का रूप दिया है और आज भी अपना सर्वस्व इसी महायज्ञ में होम कर रहे हैं । इस युवा दार्शनिक का यही स्वप्न है कि मानव-धर्म पृथ्वी पर फले-फूले ।

एक भेंट में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत इस जिज्ञासु एवं कर्मशील तत्वदर्शी ने कहा—"मैं धार्मिक राष्ट्रीयकरण का सपना देख रहा हूं, जहां कोई पराया नहीं, दुश्मन नहीं; बल्कि सभी समान हैं, सभी अपने हैं । यदि देश का हर मन्दिर 'पंचशील मन्दिर' बन सके, तो पंचभूत का यह मानव निश्चय ही ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, शत्रुता और स्वार्थ के पंच रोगों से मुक्त होकर मानव मात्र के कल्याण की भावना से परिपूर्ण अवश्य हो सकेगा ।"

अपने अभावों में भावों को ढूंढ़ते अक्षमता को ही क्षमता बनाते और निराशा में अजेय आशा की किरण देखते श्री मुखर्जी ने वस्तुतः एक विलक्षण आदर्श हमारे सामने रखा है, जिसे अपना कर जीवन सफल बनाना अब हमारा काम है । आज ढोंग रचकर, 'ईश्वर' बनने वाले तथाकथित बहुरूपियों की भीड़ में सर्वधर्म समन्वय की ध्वजा को फहराने वाला रुड़की का 'पंचशील मन्दिर' हमारे भटके हुए मानस का विश्रामस्थल तो है ही, साथ-साथ विश्व मानवता का अनूठा दर्पण भी है । मेरा दृढ़ विश्वास है कि हर इंसान, जो इंसान को प्यार करके 'प्यार' तो पाना चाहता है, ऐसी अनूठी योजना का स्वागत करेगा । □

रीडर एवं अध्यक्ष (हिन्दी विभाग)
बी० एस० एम० कालेज,
रुड़की-247667 ।

किसान

केदारनाथ कोमल

तुम्हारा व्यक्तित्व हरे-भरे
पेड़ से कितना मिलता है फर्क
सिर्फ इतना है कि
वह जड़ है और तुम चेतन
तुम्हारे हाथ पेड़ के पत्तों (हाथों) की तरह
हर मौसम में काम में लगे रहते हैं
तुम्हारे पांव पेड़ के पांव की तरह
मिट्टी में धंसे रहते हैं
तुम जीवन भर अभावों से लड़ते हुए
खुश रहते हो तुम्हें
सब की चिन्ता है याने
पेड़ की तरह नुकीली धूप में
'कार्बन' पीकर आक्सीजन'
बांटते रहते हो
मुसीबतों को डांटते रहते हो।

प्याज का निर्यात व्यापार

डा० ओमप्रकाश शर्मा

प्याज मनुष्य के लिए अत्यन्त उपयोगी है। प्याज में अनेक हितकारी रासायनिक तत्वों का भण्डार है। प्रति 100 ग्राम प्याज में विभिन्न तत्वों का औसत इस प्रकार से रहता है —प्रोटीन 1.2 से 1.8 ग्राम, प्राकृतिक लवण 0.5 से 0.6 ग्राम, कैल्सियम 0.04 से 0.18 ग्राम, लौह तत्व 0.07 से 1.02 मिलीग्राम, शर्करा 11.7 से 13.2 ग्राम, कैरोटीन 51.61 आई० यू०, विटामिन 'सी' 21 मिलीग्राम, नायसीन 0.4 से 0.6 माइक्रो ग्राम, फिन्चीन 2.20 माइक्रो ग्राम।

इस स्वादिष्ट और गुणों से भरपूर कन्द की जन्मभूमि अफगानिस्तान, रूस तथा भारत मानी जाती है। लेकिन आजकल इसने अपनी धाक अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि देशों में जमा रखी है। अमेरिका में कुल सब्जियों की खपत का पांचवां भाग यानी 20 प्रतिशत प्याज ही होता है। विश्व में धार्मिक कार्यों तक में इसका प्रयोग किया जाता है। यह कहा जाता है कि मिश्र में जब पिरामिडों का निर्माण किया गया था तब उनके [illegible] के लिए इन [illegible] की कीमत का प्याज खरीदा गया था।

सब्जी और मसाले के काम में आने वाले इस कन्द के सम्मोहक चटपटे स्वाद के कारण इसको विश्व भर की खाने की मेजों पर विशेष महत्व मिल गया है। सामान्य तथा समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में प्याज की खेती प्रमुखता से होती है। विश्व में 14 प्रमुख प्याज उत्पादक देश हैं। जिनमें सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। अन्य उत्पादक देशों में भारत के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ, पाकिस्तान, इन्डोनेशिया, जापान, टर्की, मिश्र तथा नीदरलैण्ड हैं। निम्न तालिका स्थिति को स्पष्ट करती है :—

विश्व का प्याज उत्पादक क्षेत्रफल तथा उत्पादन

[क्षेत्रफल—हजार हेक्टेयर में] [उत्पादन—हजार टनों में]

देश	1969—71		1976		1977		1978		1979	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
सम्पूर्ण विश्व	1338	14978	1508	17292	1552	18800	1541	18999	1580	19187
चीन	175	2111	193	2281	206	2432	206	2491	208	2540
सोवियत संघ	131	943	157	1513	156	1403	160	1774	170	1476
भारत	186	1450	208	1560	215	1565	215	1565	215	1575
पाकिस्तान	23	231	31	323	30	327	31	320	31	325
इन्डोनेशिया	36	160	—	—	41	169	39	183	39	185
ब्राजील	51	278	58	430	61	480	56	482	68	680
संयुक्त राज्य अमरिका	41	1319	45	1598	44	1536	49	1604	50	1719

1. स्रोत : इकानोमिक टाइम्स 2 अप्रैल, 1981

भारत में प्रमुख रूप से प्याज की खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और आन्ध्रप्रदेश राज्यों में की जाती है। भारत में लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि में प्याज की खेती होती है जिसकी औसत पैदावार लगभग 20-22 लाख टन है।

भारत में प्याज उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य अग्रणी है जो देश के कुल प्याज उत्पादन का 40 प्रतिशत उत्पन्न करता है। इसी राज्य के नासिक जिले में देश भर में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र के कुल प्याज उत्पादन का 40 प्रतिशत और देश के कुल प्याज उत्पादन का 18 प्रतिशत नासिक में होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यहां प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक है। सम्पूर्ण भारत में औसतन 10 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है जबकि नासिक में 18 टन प्रति हेक्टेयर है।

भारत से निर्यात होने वाली सब्जियों की प्याज एक महत्वपूर्ण मद है जिसका सब्जियों के निर्यात में 30 प्रतिशत से भी अधिक योगदान है। प्याज के उत्पादन एवं निर्यात की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। जिसका विश्व व्यापार में अंशदान लगभग 10 प्रतिशत है।

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्याज का निर्यात व्यापार अत्यन्त परिवर्तनशील रहा है। वर्ष 1975-76 में 1,10,234 टन प्याज का निर्यात किया गया जिसकी राशि 13 करोड़ 85 लाख रुपये थी। इसकी मात्रा वर्ष 1976-77 में बढ़कर 1,73,053 टन हो गई जिससे प्राप्त विदेशी मुद्रा 19 करोड़ 61 लाख रुपये थी। परन्तु सुनिश्चित नीति के अभाव में सन् 1977-78 में प्याज का निर्यात घटकर 55,132 टन रह गया जिससे प्राप्त राशि 8 करोड़ 72 लाख रुपये थी। अगले दो वर्षों में इसकी मात्रा तथा मूल्य दोनों में ही कुछ वृद्धि हुई। 1978-79 तथा 1979-80 में निर्यात मात्रा क्रमशः 57,076 टन और 87,000 टन तथा प्राप्त मूल्य 9 करोड़ 9 लाख रुपये तथा 12 करोड़ 58 लाख रुपये थे। वर्ष 1980-81 (अप्रैल-फरवरी) में 1,40,000 टन प्याज का निर्यात किया गया जिसमे प्राप्त मूल्य 22 करोड़ रुपये है जबकि सन् 1979-80 की इसी अवधि में इसकी मात्रा 75,000 टन और राशि केवल 11 करोड़ रुपये थी। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1980-81 में प्याज का कुल निर्यात बढ़कर 1,85,000 टन हो जाएगा जिसका मूल्य 30 करोड़ रुपये होगा।

निम्न तालिका निर्यात में प्याज के योगदान को स्पष्ट करती है :—

तालिका नं 2

भारत से प्याज का निर्यात

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1951-52	5,60,089	1.07
1955-56	29,564	0.80
1960-61	98,372	2.13
1965-66	97,273	2.52
1970-71	1,52,190	6.21
1971-72	54,002	2.28
1972-73	50,948	2.67
1973-74	63,421	5.17
1974-75	67,896	5.34
1975-76	1,10,234	13.85
1976-77	1,73,053	19.61
1977-78	55,132	8.72
1978-79	57,076	9.09
1979-80	87,000	12.58
1980-81 (अप्रैल से फरवरी)	1,40.000	22.00

2. स्रोत : इकानोमिक टाइम्स 2 अप्रैल, 1981

जहां तक देशवार निर्यात का प्रश्न है भारत से 80 प्रतिशत प्याज का निर्यात मलेशिया, सोवियत संघ, कुवैत, सिंगापुर तथा श्रीलंका को किया जाता है। इसके अतिरिक्त अब युरोप तथा अफ्रीका को भी प्याज निर्यात होने लगा है। बंगलौरी, नासिक तथा छोटे लाल प्याज विशेषतः निर्यात किए जाते हैं। सफेद प्याज युरोपीय देशों में बहुत पसन्द की जाती है। यद्यपि इसके निर्यात की मात्रा अपेक्षाकृत कम है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को पाकिस्तान से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। सन 1978-79 में जब भारत द्वारा प्याज निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया तब पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया और प० एशिया के बाजार पर प्रभुत्व जमा लिया। इस समय यह भारत को बाजार से बाहर निकालने के लिए कम कीमत पर प्याज बेच रहा है। चीन, नीदरलैण्ड, तथा मिश्र अन्य प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं।

जी० बी० के० राव कमेटी जिसे कृषि पदार्थों के निर्यात में वृद्धि के लिए सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया है, ने छठी योजना के अन्त तक 5 लाख टन प्याज निर्यात का लक्ष्य रखा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात निर्यात-नीति के निर्माण की है। जो व्यक्ति निर्यात क्षेत्र में है उनकी यह शिकायत है कि सरकार के तदर्थ रूप से निर्यात में भाग लेने के कारण अच्छे बाजार उनके हाथ से निकल जाएंगे। अतः कृषि मंत्रालय द्वारा प्याज के निर्यात सम्वर्द्धन के लिए उचित नीति बनाने की आवश्यकता है। नीति निर्माण करते समय कृषकों तथा घरेलू उपभोक्ताओं दोनों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा। ▭

ओमप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता, अर्थशास्त्र, विभाग
पी० सी० बागला (पी० जी०) कालिज,
हाथरस (अलीगढ़)

तेल की हर बूंद कीमती है, इसे बचाइये !

ये हैं इलाहाबाद के पेड़े—अमरूद

※ डॉ० वीरेन्द्र कुमार खुल्लर

शीत ऋतु में प्रायः आप गलियों में और बाजारों में 'ये है इलाहाबाद के पेड़े...' की आवाज सुनते हैं। आप कहेंगे कि पेड़े तो मथुरा के प्रसिद्ध हैं। लेकिन ये खोये के पेड़े नहीं अर्थात् इलाहाबाद के पेड़े अमरूद हैं।

उत्तम स्वास्थ्य के लिए फलों का सेवन करना आवश्यक है। विटामिन 'सी' फलों में प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन अंगूर, सेब, अनार आदि फल महंगे होने के कारण सर्वसाधारण के लिए खरीदना सम्भव नहीं। लेकिन अमरूद एक ऐसा फल है जो सर्वश्रेष्ठ फलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है एवं सस्ता भी है। प्रत्येक आदमी इसे आसानी से खरीद कर खा सकता है। अतः सर्वसाधारण में इसकी मांग अधिक होती है। यह सख्त फलों की कोटि में गिना जाता है। इसका वृक्ष छोटे कद का होता है। सर्दी और गर्मी दोनों ऋतुओं में फल लगते हैं। लेकिन शीत ऋतु में इसका सेवन अत्यन्त लाभप्रद है। इस ऋतु में यह आकार में बड़ा होता है। अमरूद का रासायनिक विश्लेषण इस प्रकार है :—

जल 76 प्रतिशत, लोहा 0.3 प्रतिशत, चर्बी 0.2 प्रतिशत, फासफोरस 0.07 प्रतिशत, खनिज पदार्थ 0.4 प्रतिशत, रेशा 6.9 प्रतिशत, प्रोटीन 1.5 प्रतिशत, कार्बोहाइड्रेट 14.6 प्रतिशत, कैल्शियम 0.01 प्रतिशत। 100 ग्राम में विटामिन 'सी' की मात्रा 18 मिलीग्राम होती है।

आपको आश्चर्य होगा कि अमरूद जैसा सस्ता फल पागलपन की अच्छी औषधी है। अमरूद हमारे मस्तिष्क की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। व्यर्थ की गर्मी नष्ट होती है। मानसिक चिन्ता से छुटकारा पाने के लिए एक अमरूद को रात के समय पानी में डालकर रख दीजिए। सुबह उठकर खाली पेट उसे धीरे-धीरे चबा कर खा लीजिए। बिना भिगोया अमरूद खाली पेट नहीं खाना चाहिए। हमारे आहार शास्त्र में भी पागल व्यक्ति की खुराक में अमरूद बढ़ा देने की नसीहत पर जोर दिया गया है।

भांग, अफीम, चरस आदि के नशे से जो जहर शरीर में जमा हो जाता है वह अमरूद खाने से नष्ट हो जाता है। अमरूद बहुत ही सुपाच्य है। इतना ही नहीं वह कब्ज को भी दूर करता है। कई दिनों तक पाखाना न आता हो, मल में बेहद बदबू हो, खून की खराबी के कारण फोड़े-फुन्सियां आदि हों तो अमरूद के सेवन से लाभ पहुंचता है। अन्तड़ियों की गर्मी भी अमरूद के सेवन से समाप्त हो जाती है।

अन्तड़ियों के अन्य रोगों में भी अमरूद गुणकारी है। बवासीर, अन्तड़ियों का ही रोग है। जिसे जोर लगाकर पाखाना करने की आदत होती है, उसके मलद्वार की मांस-पेशियां शिथिल हो जाती हैं। कुछ दिनों में वे अपना स्थान छोड़कर बाहर आ निकलती हैं। अमरूद में संकोचन शक्ति होती है। इसमें एक रासायनिक तत्व भी पाया जाता है। जिसे 'टेनिन' कहते हैं। 'टेनिन' की मुख्य शक्ति संकोचन है। यह तत्व उसकी छाल और पत्तों में अधिक पाया जाता है। टेनिन के कारण ढीली पड़ी हुई मांस पेशियां फिर से भीतर चली जाती हैं। क्योंकि भीतर की नसें संकुचित होकर उन्हें यथास्थान खींच लेती हैं। इस प्रकार बवासीर में अमरूद बहुत लाभदायक है।

बवासीर वाले व्यक्ति अपने खून को रोकने के लिए निम्न प्रयोग निःसंकोच कर सकते हैं।

अमरूद के पत्तों और छाल को एक तोला मात्रा लेकर दस तोले पानी में रात भर रखिए। सुबह इस पानी को इतना उबालिए कि केवल दो तोले रह जाए। छाल और पत्तों को मसल कर पानी में मिला दीजिए, फिर छान कर पी लें। तुरन्त लाभ होगा।

अमरूद की छाल में और भी कई गुण हैं। छाल अनेक दवाओं के काम आती है। आंव, दस्त में इसकी छाल बड़ी उपकारी सिद्ध हुई है। दांत के भीतर सूजन हो गई हो, दर्द होता हो, मसूड़ों से खून आता हो, तो अमरूद की छाल को जल में उबालकर कुल्ली करने से दांतों के और भी कई रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसकी छाल के रस से घाव भी ठीक हो जाते हैं। अमरूद को गर्म आग में मामूली तपाकर खाया जाए तो खांसी और कफ दूर हो जाता है।

भोजन के साथ अमरूद खाने से पेट ठीक रहता है। उस समय यह अधिक पौष्टिक तथा गुणकारी सिद्ध होता है। परन्तु अमरूद का सेवन कुछ परिस्थितियों में वर्जित भी है। बिना भिगोया अमरूद खाली पेट नहीं खाना चाहिए। प्रसूता या रजस्वला स्त्री को भी इसे नहीं लेना चाहिए। वायु दोष के कारण शरीर के जोड़ों में अकड़न पैदा हो गई हो तो भी इसे खाना ठीक नहीं।

कलम और पेड़ दोनों से इसके पेड़ लगाए जा सकते हैं। कलम से लगाए गए पेड़ पर तो दो वर्ष में फल भी आने लगता है। पक्षियों द्वारा अमरूद खा लेने से उनके पेट से होकर जो बीज कहीं गिर जाता है उससे पेड़ बड़ी जल्दी उगता है और फल भी स्वादिष्ट होता है।

पंजाब के मैदानी इलाकों में अमरूद अच्छा होता है। भारत में इलाहाबाद के सफेद अमरूद प्रसिद्ध हैं। अमरूद के लिए गहरी रेतीली मैरा भूमि सबसे अच्छी समझी जाती है। इसके पौधे वर्षा ऋतु में लगाए जाते हैं। लगभग तीन-चार वर्ष की आयु में फल आने लगता है। पहले वर्ष पौधों को गर्मी और सर्दी से बचाना चाहिए। पौधों में परस्पर अन्तर 20 से 25 फुट तक रखा जाता है।

अमरूद का फल साल में दो बार जुलाई-अगस्त और दिसम्बर-जनवरी में पकता है। वर्षा ऋतु में यह फल सर्दियों की अपेक्षा अधिक और सस्ता होता है। परन्तु सर्दियों में होने वाला फल काना नहीं होता। अमरूद को वर्ष में सात-आठ बार पानी देना चाहिए। अमरूद के पौधे 30 से 40 वर्ष की आयु तक अच्छा फल देते रहते हैं। एक एकड़ में लगे अमरूदों से लगभग 4000 रुपये तक की आय हो सकती है। □

दरिद्रनारायण के उपासक गांधी जी के विचार में शारीरिक श्रम का महत्व

सुरेन्द्र अग्रवाल

सुनकर ताज्जुब होता है कि गांधी जी कितनी चीजों में दिलचस्पी लेते थे और जब दिलचस्पी लेते थे तो पूरी तरह लेते थे । उनकी यह दिलचस्पी दिखावा मात्र नहीं होती थी । और यही बात, उनकी इन्सानियत को उजागर करती है । उनके चरित्र का यही आधार है । यह बात, बहुरूपी, बहुमुखी बापू के बारे में, नेहरू जी ने कही । और भारतीय श्रमिक के बारे में कहा गया है कि चार मोटी-मोटी रोटियां नमक या प्याज —जहां जैसा चलन हो । रोटियां जौं की भी हो सकती हैं और कोदों की भी । एक जोड़ी कपड़ा और बहुत हुआ तो एक जोड़ी पन्हई—बस । यह है एक गरीब श्रमिक का मोल । फिर, दरिद्रनारायण के उपासक, बापू इस श्रमिक से अछूते कैसे गया, पर यह सब बेकार हो गया । उस बेचारे को मेरे पीछे दौड़ने को मजबूर किया गया । मेरी लज्जा की हद हो गई । अगर वह बोझ ले जाना ही है, तो मैं देखना पसन्द करता कि हममें से ही कोई, उसे ले चलता । तब हम तिपाई और बत्ती दोनों को ही धता बता देते । कोई मजदूर ऐसा बोझा अपने सिर पर नहीं ले जाएगा । हम बेगार का विरोध करते हैं, और वह ठीक ही है, परन्तु यह बेगार नहीं तो और क्या है ? अगर, हम जल्दी ही, अपने तौर-तरीके नहीं सुधार लेंगे, तो हमने लोगों के सामने स्वराज्य की जो तस्वीर रखी है, वैसा स्वराज्य सम्भव नहीं होगा । श्रमिकों के दुःख से दुःखी गांधी जी ने टालस्टाय और रस्किन के प्रभाव को खुद माना है ।

करता है और एक मन्त्री जो राज्य काज चलाता है, दोनों समाज के परम उपयोगी अंग हैं और अपनी-अपनी जगह आदरणीय हैं । मोटा काम करने वाला छोटा और महीन काम करने वाला बड़ा, ऐसी भावना के वे खिलाफ थे ।

गांधी जी ने एकादश व्रत की व्याख्या के क्रम में, सोलह सितम्बर उन्नीस सौ तीस को, शरीर के श्रम के महत्व पर विस्तृत प्रवचन दिया था । बापू के रचनात्मक कार्यक्रम का एक मुख्य अंग है—मजदूरों का कल्याण और संगठन ।

इसी संदर्भ में बापू ने कहा है कि मैं तो श्रमिकों की स्थिति में परिवर्तन लाना चाहता हूं । धन के लिए यह पागलपनभरी छीना-झपटी बन्द होनी चाहिए और श्रमिकों को न केवल जीवन-

रहते । श्रमिकों के प्रति बापू को पीड़ा की झलक दाण्डी कूच के ऐतिहासिक दिनों की एक घटना से मिलती है । प्रबन्धकों ने, उन दिनों, एक मजदूर की भी व्यवस्था की थी । रात के समय वह गैस बत्ती जलाकर चलता था । एक दिन एक गांव में भाषण करते हुए, बड़े मार्मिक शब्दों में, गांधी जी ने उसकी चर्चा की । बापू ने कहा—मैंने देखा है, कि आप लोगों ने रात के सफर के लिए एक भारी गैस की बत्ती का प्रबन्ध किया है और उसे, एक गरीब मजदूर अपने सिर पर एक तिपाई रखकर चलता है । यह एक लज्जाजनक दृश्य है । उस आदमी को तेज चलने के लिए विवश किया जा रहा है । रात, मैं उस दृश्य को सहन नहीं कर सका । इसलिए मैंने चाल तेज की और मैं सारे समुदाय से आगे निकल

टालस्टाय ने यह क्रांतिकारी विचार उपस्थित किया था कि शरीर का श्रम मनुष्य मात्र के लिए अनिवार्य है । रस्किन ने भी अपनी पुस्तक 'अन टु दिस लास्ट' में यह विचार रखा है कि शरीर का श्रम करने वाले का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है ।

गीता में 'यज्ञ' और बाइबिल में 'अपनी रोटी—पसीना बहाकर कमाने -खाने' पर जोर दिया गया है । यज्ञ अनेक प्रकार के हो सकते हैं । उनमें से एक शरीर का श्रम अथवा रोटी के लिए श्रम भी हो सकता है । और इसका मतलब यही हुआ कि शरीर के श्रम का अपना महत्व है ।

गांधी जी दैनिक जीवन में श्रम को बहुत महत्व देते थे । उनकी मान्यता थी कि एक श्रमिक मेहतर जो सड़क साफ

वेतन का आश्वासन मिलना चाहिए, बल्कि ऐसे दैनिक काम का भी आश्वासन मिलना चाहिए, जो सिर्फ तन-तोड़ मेहनत का ही काम न हो ।

रचनात्मक कार्यक्रम के संदर्भ में ही गांधी जी ने लिखा कि आर्थिक समानता अहिंसापूर्ण स्वराज्य की मुख्य चाबी है । आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब है पूंजी और मजदूरी के बीच के झगड़े को हमेशा के लिए मिटा देना । बापू ने आगे लिखा है कि आजाद हिन्दुस्तान में देश के बड़े से बड़े धनवानों के हाथ में हुकूमत का जितना हिस्सा रहेगा, उतना ही गरीब श्रमिक के हाथ में भी होगा, और तब, नई दिल्ली के महलों और उनकी बगल में बसी हुई गरीब मजदूर—बस्तियों के टूटे-फूटे

झोपड़ों के बीच जो दर्दनाक फर्क आज नजर आता है वह एक दिन को भी नहीं टिकेगा ।

श्रमिक वर्ग संघर्ष के बारे में हरिजन के एक मार्च उन्नीस सौ पैंतीस के अंक में गांधी जी ने लिखा है कि पूंजी और श्रम के बीच हितों का संघर्ष है, परन्तु हमें उसे अपना कर्तव्य पालन करके मिटाना है । जिस प्रकार शुद्ध रक्त पर जहरीले कीटाणुओं का कोई बुरा असर नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध श्रम भी शोषण से पूरी तरह मुक्त रहेगा । श्रमिक को इतना भान होना चाहिए कि उसका श्रम भी पूंजी ही है । जब श्रमिक अच्छी तरह शिक्षित और संगठित होंगे और अपनी शक्ति पहचान लेंगे तब बड़ी से बड़ी पूंजी भी उन्हें दबा नहीं सकेगी । संगठित और जाग्रत श्रमिक अपनी शर्तें मनवा सकते हैं । श्रमिक कमजोर है इसलिए किसी के विरुद्ध बदले की कसम खाना बेकार है । श्रमिक को मजबूत और शक्तिशाली बनना होगा । बलवान हृदय, जाग्रत मस्तिष्क तथा काम करने की इच्छा रखने वाले हाथ, सारी मुसीबतों का बहादुरी से सामना कर सकते हैं और मार्ग की सारी रुकावटें दूर कर सकते हैं । 'अपने पड़ोसी को वैसा ही प्रेम करो जैसा तुम अपने को करते हो'—इस आदेश में ऐसा कोई आदर्श नहीं है, जिसे आचरण में न उतारा जा सके । पूंजीपति, श्रमिक का वैसा ही पड़ोसी है जैसा कि श्रमिक पूंजीपति का पड़ोसी है और दोनों को एक-दूसरे का सहकार खोजना और प्राप्त करना चाहिए । इसका यह अर्थ नहीं है कि हम बिना किसी विरोध के उद्योगपति का शोषण स्वीकार कर लें । हमारी आन्तरिक शक्ति सारे शोषण को असंभव बना देगी ।

गांधी जी ने आगे कहा है कि अहिंसक तरीके से हम पूंजीपति का नहीं परन्तु पूंजीवाद का नाश करना चाहते हैं । हम पूंजीपतियों से कहते हैं कि वे अपनी पूंजी को पैदा करने, उसे बनाए रखने और उसकी बढ़ोत्तरी के लिए जिन श्रमिकों पर निर्भर हैं, उन श्रमिकों के हितों का अपने को ट्रस्टी मानें । लेकिन, श्रमिक को पूंजीपति मिल-मालिकों के हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है । अगर पूंजी एक शक्ति है तो श्रमिक का श्रम भी एक शक्ति है । दोनों में से किसी भी शक्ति का उपयोग, नाश या निर्माण के लिए किया जा सकता है । हर शक्ति दूसरी शक्ति पर निर्भर करती है । ज्योंही श्रमिक अपनी शक्ति को पहचान लेता है त्योंही वह पूंजीपति का गुलाम रहने की बजाय उसका साझेदार बनने की स्थिति प्राप्त कर लेता है । अगर, श्रमिक, पूंजी का एकमात्र मालिक बनने का ध्येय रखें तो वह शायद सोने के अण्डे देने वाली मुर्गी को ही मार डालेगा । इस सम्बन्ध में गांधी जी ने फिर लिखा है कि पूंजीपति और श्रमिक एक-दूसरे के पूरक बनें और एक-दूसरे की सहायता करें । वे एक बड़े परिवार की भांति एकता और मेल से रहें । पूंजीपति अपने अधीन काम करने वाले श्रमिकों के भले के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए पूंजीपति को श्रमिकों के भौतिक कल्याण का ही नहीं, बल्कि नैतिक कल्याण का भी ध्यान रखना चाहिए ।

उन्होंने यह भी लिखा है कि पूंजी और श्रम के बीच किसी संघर्ष की कोई जरूरत नहीं है । ये दोनों एक-दूसरे पर आश्रित हैं । आज जो बात जरूरी है, वह यह है कि पूंजीपति को श्रमिक पर अत्याचार नहीं करना चाहिए । श्रमिक को मिल पर उतना ही अधिकार है जितना मिल के भागीदारों का और जब पूंजीपति यह समझ लेंगे कि श्रमिक भी उसी हद तक मिल का मालिक है जिस हद तक वे, तब उन दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं रह जाएगा । उन्नीस सौ सतरह में मिल मालिकों और श्रमिकों में जो लड़ाई हुई, उसके सम्बन्ध में अहमदाबाद के श्रमिकों के सामने भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा था कि श्रमिक देश के कानून की हिंसक अवज्ञा करके अपना गुस्सा निकालेंगे तो वे आत्म हत्या करेंगे और भारत को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा । आगे बापू ने श्रमिकों की साधारण स्थिति के बारे में कहा कि श्रमिक, सिर्फ ज्यादा मजदूरी पाकर धनवान नहीं हो सकते । और धनवान बनना ही सब कुछ नहीं है । श्रमिकों को पैसे मिलें, ताकि वे सुखी हों, सच्चे अर्थ में धार्मिक बनें, सदाचार के नियमों का पालन कर सकें, शराब, जुआ वगैरह की बुरी आदत छोड़ सकें, अपने घर साफ रख सकें और अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकें । श्रमिकों की माली हालत सुधरी है । अभी उसमें और सुधार की आवश्यकता है । यह दो तरह से हो सकता है—एक तो मिल-मालिकों से सलाह मशविरा करके और दूसरे मिल-मालिकों पर दबाव डाल कर । पहला उपाय ही सच्चा इलाज है । पश्चिम में पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच सदा संघर्ष रहता है । एक पक्ष, दूसरे को अपना कुदरती दुश्मन समझता है । यह मनोवृत्ति भारत में भी घुस गई दीखती है । अगर इस मनोवृत्ति ने सदा के लिए यहां घर कर लिया तो हमारे उद्योगों और हमारी शांति का अन्त हो जाएगा । अगर दोनों पक्ष अच्छी तरह समझ लें कि वे एक-दूसरे पर निर्भर हैं, तो झगड़े का कारण ही नहीं रह जाता ।

श्रमिकों की जायज मांग के बारे में गांधी जी का विचार था कि जो मांग केवल पूंजीपतियों की स्थिति का लाभ उठाने के लिए की गई है, वे नाजायज हैं । परन्तु जब श्रमिक अपने गुजर के लिए और अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा देने के लिए काफी मजदूरी मांगते हैं, तब वह मांग बिल्कुल वाजिब है । बापू के विचार में इसके लिए हिंसा का आश्रय लिए बिना और पंच द्वारा पूंजीपतियों की सद्भावना की अपील करके न्याय चाहना, उचित साधन है ।

गांधी जी ने मजदूर संघ और पंच के बारे में कहा है कि मुझे विश्वास है कि प्रत्येक के विभाग में श्रमिक अपने-अपने संघ बना लेंगे, और साथ ही प्रत्येक श्रमिक अपने बनाए गए नियमों का पूरी तरह पालन करेगा । फिर, श्रमिक अपने संघ के मार्फत मालिक के पास जाएंगे और अगर उनके फैसलों से संतोष न हो तो पंच से अपील करेंगे, बापू का विश्वास था कि पंच फैसले सिद्धांत का पूरी तरह विकास किया जाएगा और हड़तालें सदा के लिए असम्भव हो जाएंगी ।

यंग इण्डिया के पांच मई उन्नीस सौ बीस के अंक में गांधी जी ने फिर लिखा

कि न्याय पाने के लिए हड़ताल करना श्रमिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है, परन्तु ज्योंही पूंजीपति पंच फैसले का सिद्धांत मान लें, त्यों ही हड़ताल को अपराध समझना चाहिए।

हड़ताल के बारे में यंग इण्डिया ग्यारह फरवरी उन्नीस सौ बीस के अंक में गांधी जी ने लिखा है कि बेशक हड़ताल एक अद्भुत वस्तु है, श्रमिकों को शक्तिशाली मजदूर संघों के रूप में संगठित होना चाहिए और अपने संघों की स्वीकृति के बिना किसी भी कारण से हड़ताल नहीं करनी चाहिए।

गांधी जी ने दोहराया था कि मजदूरी बढ़ रही है और उसके लगातार बढ़ते रहने की पूरी संभावना है। परन्तु मेहनत के घण्टे कम करने की भी उतनी ही जरूरत है। आज तो श्रमिक बारह घंटे या उससे भी अधिक काम करते मालूम होते हैं। जिन्हें रोज इतने घंटे काम करना पड़ता है, उनके पास मानसिक या नैतिक उन्नति के लिए समय नहीं बच सकता। इस कारण, अवश्य ही उन श्रमिकों की हालत जानवरों जैसी हो जाती है। हमारा कर्तव्य है कि इस खतरे से बचें, साथ ही जो भी कदम उठाएं, उसमें अपने उद्योगों को हानि न पहुंचाने की सावधानी रखें।

मिल मालिक कहते हैं कि श्रमिक सुस्त होते हैं, अपने काम में पूरा समय और ध्यान नहीं देते। गांधी जी ने इस बारे में कहा है कि मैं तो ऐसे श्रमिकों से जिन्हें रोज बारह घंटे काम करना पड़ता हो ध्यान और मेहनत की आशा नहीं रखता परन्तु जब काम के घंटे घटाकर दस कर दिए जाएंगे तब श्रमिक पहले से अच्छा और लगभग उतना ही काम करेंगे जितना वे बारह घंटे में करते। जब श्रमिक मालिकों के हितों को अपना ही हित समझना सीख लेंगे, तब वे उन्नति करेंगे और उनके साथ हमारे देश के उद्योगों की भी उन्नति होगी। हरिजन सेवक के पच्चीस जून उन्नीस सौ अड़तीस के अंक में बापू ने लिखा कि अहिंसा के आवश्यक अनुशासन के बिना श्रमिक एक दूसरे के घातक झगड़े में फंसे रहते और अपने में वह शक्ति बढ़ाने को कभी तैयार न होते जो कि उन्हें अपने अन्दर की सामर्थ्य अनुभव कराने के लिए आवश्यक होती है। संगठन, व्यवस्था, कौशल और हर ऐसी दूसरी चीज, अहिंसा के मूल सिद्धांत को स्वीकार करने के बाद अपने आप ही आ जाएगी। साथ ही श्रेणीबद्ध होकर काम करने की वृत्ति भी अपने आप ही पैदा हो जाएगी। जिस बात को उन्हें अनुभव करना है वह यही है कि श्रम भी उसी तरह एक पूंजी है जिस तरह कि धातु के सिक्के। यह अनुभूति केवल अहिंसा को स्वीकार करने से ही हो सकती है।

अगर श्रमिक अहिंसा छोड़ बैठेंगे तो श्रमिक भी उतने ही बुरे हो जाएंगे जितने कि पूंजीपति हैं और खुद शोषक बन जाएंगे। अपनी शक्ति की अनुभूति के साथ-साथ अहिंसा का पालन श्रमिकों को पूंजी के साथ सहयोग करने और उसका उचित उपयोग करवाने योग्य बना देगा। तब वे पूंजी को विरोधी हित नहीं मानेंगे। तब वे समय की चोरी और काम में कमी नहीं करेंगे, बल्कि शक्ति भर ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। हकीकत में, पूंजीपति और श्रमिक दोनों ही एक दूसरे के ट्रस्टी होंगे और दोनों मिलकर खरीददारों के ट्रस्टी होंगे।

श्रमिक की बात करते बापू छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल से हटाकर मजदूरी कमाने के काम में लगाना राष्ट्रीय पतन का चिन्ह मानते थे। बापू का कहना था कि कम से कम सोलह वर्ष की आयु तक उन्हें स्कूलों में अवश्य रखना चाहिए।

इसी प्रकार बापू मानते थे कि स्त्रियों से भी धीरे-धीरे मिल की मजदूरी छुड़वा देनी चाहिए। इस बारे में बापू ने कहा था कि जब पति-पत्नी दोनों को केवल जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी करनी पड़ती है तब राष्ट्र का अवश्य पतन हो जाता है। यह दीवालिए के अपनी पूंजी पर जीने जैसी बात है।

भगवद्गीता कहती है—देवताओं की सेवा करके तुम उन्हें प्रसन्न रखो, तो वे तुम्हें प्रसन्न रखेंगे और इस पारस्परिक सेवा से तुम अपना सर्वोच्च हित साधन कर सकोगे। दुनिया में देवता नाम की अलग सत्ता नहीं है, बल्कि वे सब देवता हैं जो उत्पादन-शक्ति रखते हैं, समाज के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं और उसे कार्यरूप में परिणित भी कर रहे हैं—फिर भले ही वे श्रमिक हों या पूंजीपति। यह है बापू द्वारा दी गई श्रमिक और देवता की व्याख्या।□

गजल

पूरन सरमा

सुख और दुख का समास है गजल
जिन्दगी के दर्द का अहसास है गजल
जो पसीना पोंछते जलाते हैं लहू
बस उन्हीं सेनानियों के पास है गजल
मन से चेतन, तन से मिटने की तमन्ना है
ऐसे जिन्दे हौंलों की सांस है गजल
जर्द पड़ते जा रहे पीले मुखौटे से
वे समझते हैं गजल की लाश है गजल
नींद में सोया उजाला चुकता जा रहा
आदमी के नाम पर बकवास है गजल
मन ने सोचा हारकर कि जीत कब होगी
हाथ से अब छूटती सी ताश है गजल

पूरन सरमा
सिकन्दरा-303326
(जयपुर राजस्थान)

रूपक

नई लहर

पूरनचन्द

पात्र :

साहूकार और उसका परिवार : रामेश्वर साहू, अयोध्या, कमल, और राधा।
किसान : पृथ्वी सिंह, राम काका, तुला राम, तोता राम, किसना, भवरू, मोती।
युवक कार्यकर्ता : जीवन लाल

रामेश्वर साहू अपने बैठक खाने में बैठकर अपने परिवार के बीच बातचीत कर रहे हैं। अब, इन्दिरा जी के राज में सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि उन गरीब किसानों को कर्ज से मुआफी मिल जाएगी जिनका कर्जा उतरता ही नहीं है।)

रामेश्वर साहू : अरे राधा की मां, अब तो लगता है हमारा इस गांव में रहना ही कठिन हो गया है।

अयोध्या : ऐसा भी क्या हो गया, जो हमें अपने पुरखों की जगह भी रहना भारी पड़ रहा है, कुछ मुझे भी तो बताओ।

साहू : अरे होता क्या है? अब ऐसा जमाना आ गया है, छोटे लोग तो बहुत ही सिर पर चढ़ गए लगते हैं। कल तो हमारे सामने जमीन पर भी बैठने की जो हिम्मत न कर सकते थे, आज वे ही अपने को हमारी बराबरी का समझने लगे हैं।

अयोध्या : मैं तो तुम से पहले ही कहती थी कि गांव-कस्बे में रहना है तो सबसे अकड़ के न बोलो। न जाने कब कैसा वखत आ जाए, मगर तुमने मेरी जब तक मानी हो, तब न।

साहू : तो तू यह चाहती है कि मैं इन किसान मजदूरों को अपने साथ बिठाकर हुक्का पिलाऊं, अपने पुरखों की शान को बट्टा लगाऊं।

अयोध्या : तुम्हें तो कोई कायदे की बात कहो तो बस जोर से बोलने लगते हो और मुझे तो निरी गंवार ही समझते हो।

साहू : तेरे से अकल लेकर चलता तो आज को यह किले सी हवेली, दस गोदाम, दो-ढाई सौ तोले सोना और इतने ही किलो चांदी और साथ में इतने डंगर न होते जिनके बल पर तू सारे गांव में इतराती फिरती है।

अयोध्या : मैं यह कब कहती हूं कि तुम व्योपार न करो। अरे लेनदेन न होगा तो रोटी कैसे चलेगी। मैं तो बस इतना कहती हूं कि जहां तक हो सके किसी का दिल न दुखाओ।

साहू : तू अपनी भगती को अपने पास रख। अगर मैं लोगों से अपने कर्जे वसूल करने के लिए टेढ़ी अंगुली न करूं तो दो दिन में कंगाल हो जाऊंगा। तू क्या समझती है कि असामी अपने आप कर्ज चुकाने आएंगे?

अयोध्या : मैं तो थोड़ी सी पढ़ी-लिखी, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी तब से अब तक बीस बरस हो गए पर जो कर्जदार उस वखत कर्ज चुकाने आते थे, वो अब भी कर्ज चुका रहे हैं।

साहू : ले, तुझे तो मेरे साथ बीस बरस रहने के बाद भी अकल नहीं आई। मेरे कर्जदारों में से कोई भागवान ही मूल चुका पाता है। अरी ये तो सिर्फ सूद देने आते हैं, मूल तो वहीं का वहीं खड़ा रहता है।

अयोध्या : (चौंककर आश्चर्य में) अच्छा। तो यह सूद ही दे पावे हैं।

साहू : और नहीं तो क्या? और सुन इनमें से कई तो मेरे बाप के जमाने के कर्जदार हैं। मैं ही जानता हूं इनसे कैसे कर्ज वसूल किया जाता है। अगर मैं जरा सी ढील दूं तो कर्ज तो दूर रहा ये लोग ठीक से बात भी न करें। तू चाहती है कि मैं अपने गाढ़े पसीने की कमाई इन पर न्योछावर कर दूं।

अयोध्या : सो तो व्योपार की बातें मैं क्या जानूं, राधा के बापू, लेकिन इतना तो नजर ही आ रहा है कि अब जमाना खराब है उस दिन धूमरसिंह की घरवाली हाट में अपनी पड़ोसिन से कह रही थी कि हम गरीबों के दिन भी फिरने वाले हैं। इन्दिराजी ने इन सब सेठ साहूकारों से कह दिया है कि अब ये हम पर जुलम न करें। वो तो यहां तक कह रही थी कि अब हमारे सब कर्जे

माफ हो जाएंगे । क्या तुमने भी कुछ सुना है ?

साहू : अरी यह गीत तो पिछले बीस बरस से सुन रहे हैं, मगर आज तक कभी ऐसा हुआ है ? और भई यह तो लेन-देन की बात है। सीधा सा हिसाब है—जिसने कर्जा लिया है उसे चुकाना तो पड़ेगा ही ।

(बात चल ही रही थी कि पृथ्वीसिंह किसान आता दिखाई देता है)

अरे यह तो पृथ्वी सिंह आ रहा है, तू जरा अंदर चल कर बैठ, मैं इससे बात करता हूं ।

पृथ्वी सिंह : पायलागूं मालिक, जै राम जी की।

साहू : आओ, पिरथू, बैठो, कहो कैसा हालचाल है ?

पृथ्वी : सब दया है मालिक । ऐसे ही जरा बंदगी करने चला आया ।

साहू : अच्छा ! अच्छा ! खड़े क्यों हो भाई, बैठ जाओ ।

पृथ्वी : नहीं मालिक ऐसे ही ठीक हूं ।

साहू : ठीक है। ठीक है। कहो कैसे आना हुआ ?

पृथ्वी : मालिक वह अपनी बिटिया अब सयानी हो गई है। उसके हाथ पीले करने हैं न, सो इसलिए उसके इंतजाम में लग रहा हूं ।

साहू : अरे हां, भाई वह तो एक न एक दिन करना ही पड़ता है। लड़की तो होती ही पराया धन है ।

पृथ्वी : हां, मालिक, सो तो है ही। लाख रुपये की बात कही है आपने। फिर इस बार फसल भी अच्छी हुई है, सोचता हूं, इसी साल में उसके हाथ पीले कर दूं ।

साहू : (खीसें निपोरता हुआ) तब तो पिरथू खूब शान से ब्याह करो ।

पृथ्वी : हम गरीब कैसी शान कर सकते हैं। मालिक एक प्रार्थना है । अगर दया हो जाए तो इस फसल के तीन हजार रु० मुझे दे देवें तो मेरा बोझ हल्का हो जाए।

साहू : भई, पिरथू देखो, आजकल तुम जानो हो, रुपये पैसे का तो अकाल सा पड़ गया है । और फिर रोज सरकार के नए-नए हुकम आते हैं, उन्हीं को बजाने में मेरी हालत खराब हुई जा रही है । आजकल वैसे भी मन्दी का जमाना है।

पृथ्वी : मालिक आप हमारे अन्नदाता हैं। हमारी इज्जत आबरू आपके ही हाथ में है। आप ही हमारी नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा।

साहू : (खांसकर) हां भई, जब मतलब पड़ता है तो हम माई बाप हो जाते हैं और बाद में सरकार के गुण गाते हो। अरे यह सरकार हमारे जैसे ही लोगों के दम पर टिकी है। अगर हम पार्टियों को चन्दा न दें तो दो दिन में सारी पार्टियां जमीन पर आ जाएं ।

पृथ्वी : मालिक, सो तो है ही । हजूर का सितारा बुलन्द रहे और दिन दूनी रात चौगुनी बरकत हो। आपके ही सहारे हम गरीब खेतिहरों की नैया पार लगती है।

साहू : बस, बस रहने दे। अच्छा बोल तुझे क्या चाहिए।

पृथ्वी : बस मुझे तीन-एक हजार रुपये मिल जाएं तो मेरा काज पूरा हो जाए और मैं बेटी के ऋण से उऋण हो जाऊं। (कहकर चुप हो जाता है) । उधर साहू भी अपने मन में सोचता है कि फसल तो इस बार इसके खेत में अच्छी हुई है । कम से कम 6-7 हजार का दाना होगा। अगर कटाई-छटाई में कुछ बरबाद भी हो गया तो भी 5 हजार तो खरे हैं। अच्छी आसामी हाथ आई है और फिर बाजार में दाम बढ़ गए तो फालतू मुनाफा अलग से होगा।

साहू : (गम्भीर मुद्रा में) देख भई पिरथू ! तू तो जानता ही है, आजकल मन्दी का जमाना है और रुपये की तो जैसे कोई कीमत ही नहीं रह गई है। फिर भी तेरी मदद तो करनी ही पड़ेगी। आखिर बिटिया तो हमें भी ब्याहनी है ।

पृथ्वी : मालिक का सितारा सदा चमकता रहे ।

साहू : (अनसुनी कर के) भई देखो, अपना आदमी समझ के हम तुम्हारी फसल के दो हजार रुपये लगा सकते हैं। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो कागज-पत्तर तैयार कर लवें ।

पृथ्वी : सरकार, इसमें तो कुछ न होगा । बेटी की ससुराल वालों के सामने मेरी हँसाई हो जाएगी । अगर हजूर मेरी लहलहाती फसल देख लें तो तसल्ली हो जाएगी ।

साहू : देखो भई हम तो जितना कर सकते थे, उतना कह दिया । अब तुम्हारी मर्जी है ।

पृथ्वी : सरकार मैं लुट जाऊंगा । घर में और कुछ भी नहीं है जिसके सहारे मैं बाकी इन्तजाम कर लूं । जो कुछ मेरे पास है, बस फसल ही है जिसके सहारे मैं दिन काट रहा हूं ।

साहू : अच्छा, भई देखो! हम ढाई हजार से एक पैसा भी ज्यादा नहीं दे सकते । कहो तो कागज तैयार कर लें ।

पृथ्वी : जैसी सरकार की मर्जी ।

साहू : फिर ठीक है । अरे भई रामू जरा मेरा बस्ता और कलम दवात तो लाकर दियो ।

(उधर से रामू आकर बस्ता आदि दे जाता है और साहू उसे बड़ी गंभीरता से खोलते हैं)

साहू : पिरथू तुम्हारा कुछ पिछला हिसाब भी बाकी है, उसे भी पूरा करने की तरफ ध्यान दो। आखिर हम कब तक अपना रुपया अटका कर रख सकते हैं ।

पृथ्वी : बस मालिक, मैं जरा ब्याह से निपट जाऊं फिर पाई-पाई अदा कर दूंगा ।

साहू : तुम जरा हिसाब तो समझ लो । देखो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी के लिए 35 बरस पहले तीन हजार रुपये लिए थे जिसमें से कुल 15 सौ अभी बाकी हैं। उसके बाद तुमने अपने लड़के के होने पर एक हजार रुपय लिए जिसमें से 475 रु० अभी बाकी हैं। उसके बाद बाप के मरने पर तुमने सारी बिरादरी का खाना-पीना किया जिसके लिए 4 हजार रुपये तुमने लिए थे। इस कर्जे में से कुल 2 हजार रुपये तुमने दिए हैं। बाकी वक्त जरूरत पर तुमने थोड़े-थोड़े कर के कोई 3560 रुपये लिए हैं जिसका सिर्फ तुमने ब्याज ही चुकाया है। मूल रकम अपनी जगह खड़ी है ।

पृथ्वी : हजूर मेरा धरोबा तो आपकी धरोहर है । अगर उससे भी कर्जा नहीं पटेगा तो मैं सारी उमर गुलामी करने के लिए हाजिर हूं। आखिर जब लिया है तो दूंगा भी । मुझे कोई अपना परलोक थोड़े

ही बिगाड़ना है।

साहू : अच्छा तो फिर ठीक है। कल तक मैं कागज तैयार कर लूंगा। परसों तक आकर तुम रकम ले जाना।

पृथ्वी : हजूर की जय हो।

(चला जाता है)

साहू : अरी ओ राधा की मां, जरा शरबत तो बना कर पिलइयो। हे भगवान तेरा लाख-लाख शुक्र है। जब तक गांव वालों में असर कायम रहेगा, अपना वारा-न्यारा होता ही रहेगा। इस पिरथू से तो मैं कर्ज और ब्याज का अब तक बीस गुना वसूल कर चुका हूं फिर भी················(हँसता है)

अयोध्या : मैं तो कब से शरबत तैयार कर के बैठी हूं। लो पियो।

साहू : अरी आज तो बहुत सुन्दर लग रही है।

अयोध्या : अरे बाल पकने पर भी तुम्हारी आदत नहीं गई। अब यह कोई उमर है छेड़खानी करने की।

साहू : अरे बाल पक गए तो क्या हुआ? मन तो अभी जवान है।

अयोध्या : क्या करते हो जी। कमल छुट्टियों में घर आया हुआ है। घूम कर आता ही होगा।

साहू : तूने खूब याद दिलाया। कमल कह रहा था कि अब शहर में खर्चा बढ़ गया है। उसे नया सूट सिलवाना है और क्या कह रहा था वह। याद आया, वह स्कूटर की बात कर रहा था। शहर में उसके साथ पढ़ने वाले लड़कों के पास स्कूटर है तो इस बार उसे भी दिलवा देंगे। राधा भी बड़ी हो गई है। उसे भी कालिज में दाखिला दिलवाना है। हे भगवान तू ही सबका पालनहार है।

अयोध्या : अजी तुम्हारे रहते सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्यों जी, तुम शहर में भी एक हवेली क्यों नहीं ले लेते। मेरा तो शहर में खूब मन लगे है।

साहू : अरे गांव छोड़कर शहर कौन जावे हैं। वहां सब बेगाने हैं। सुना है न जाने कैसे-कैसे पहिरावे वहां लोग पहने हैं। औरतें तो लाज शरम छोड़ के मुंह उघाड़े घूमती फिरे हैं। तू वहां जाकर क्या करेगी?

अयोध्या : क्यों जी! हमें किसी से क्या लेना। हमें कोई किसी की नकल थोड़े ही करनी है। हम पर अब किसी का रंग चढ़ने से रहा।

(दोनों हँसते हैं)

(क्रमशः)

पर्यावरण प्रदूषण से स्वास्थ्य रक्षा कैसे? कुछ सुझाव

—राजेन्द्र सिंह

जैसे-जैसे देश का औद्योगिक विकास होता जा रहा है, प्रतिदिन नई-नई समस्याएं जन्म लेती जा रही हैं। भीड़-भाड़ का नगरीय जीवन व्यक्ति को यंत्र-वत अत्यन्त गतिमान बनाता जा रहा है। अत्यधिक औद्योगिक नगरों में वायु के प्रदूषण से श्वास सम्बन्धी रोग बढ़ रहे हैं। इस प्रकार धूल और धूएं से भरे वातावरण में रहने व काम करने से पेट सम्बन्धी बीमारियां तथा अन्य रोगों की सम्भावना रहती है। बड़े शहरों में जल प्रदूषण भी एक गम्भीर समस्या है। कभी-कभी दूषित जल से पीलिया, हैजा, पेचिस, आदि रोग बड़े पैमाने पर शहरों में फैल जाते हैं। इन सबके परिणामस्वरूप व्यक्ति को तनावयुक्त जीवन व्यतीत करने को विवश होना पड़ता है। ये परिस्थितियां मानसिक और शारीरिक व्यग्रता को बढ़ाती हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व निम्न हैं:—

ध्वनि प्रदूषण

नगरों में कल-कारखानों, व्यवसाय और यातायात की बढ़ती हुई रेल-पेल के साथ ही सभी व्यक्तियों को सुबह से शाम तक अनेक प्रकार की ध्वनियों के मध्य रहना पड़ता है। चाहे आप अपने घर में बैठे हों या जलपान गृह में या काम पर जा रहे हों, आपको विभिन्न तीव्रता के शोर का सामना करना पड़ता है। इसमें हवाई जहाज और जैट विमानों के भीषण गर्जन, सड़कों पर मोटरों की पों-पों, ट्रकों की घड़घड़, पान की दुकानों पर बजते रेडियो के हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हमें इन कोलाहलों का पता नहीं चलता। परन्तु शोर पर

अनुसन्धान कर रहे वैज्ञानिकों का मत है कि शोर एक अदृश्य प्रदूषण है जो उद्योगों में काम करने वालों के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालकर उन्हें शनैः शनैः मृत्यु की ओर धकेलता है।

शोरगुल से स्वास्थ्य को हानि

अनावश्यक, असुविधाजनक तथा अनुपयोगी आवाज ही शोर है। इसलिए एक व्यक्ति के लिए जो संगीत है वही दूसरे के लिए शोर हो सकता है। कोई भी कारण, तीव्रता, आवृत्ति, निरन्तरता अथवा व्यवधान आदि पर निर्भर है।

ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई बेल कहलाती है। जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक ग्राहम बेल के नाम से सम्बद्ध है। एक बेल का दसवां भाग डेसीबेल कहलाता है। सैद्धांतिक रूप से शून्य डेसीबेल ध्वनि की तीव्रता का वह स्तर है जहां से ध्वनि सुनाई देना शुरू होती है। 5 डेसीबेल की ध्वनि बहुत धीमी होती है और 25 डेसीबेल के आसपास की ध्वनि भी शान्त कहलाती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 120 डेसीबेल से अधिक आवाज कानों में दर्द पैदाकर सकती है, तथा 142 डेसीबेल आदमी को विक्षिप्त बनाने के लिए काफी है। इन परिणामों को देखकर रूस, इंग्लैंड, और डेनमार्क आदि देशों ने शोर की अधिकतम सीमा 75–80 डेसीबेल के बीच निर्धारित की है और शोर के घातक परिणामों को रोकने के लिए वैधानिक कदम उठाए हैं।

तीव्र ध्वनि या अचानक हुए शोर के कारण कान के कारटाई इन्द्रिय की ग्राही कोशिकाओं के संवेदी रोम नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य में श्रवण दोष प्रारम्भ हो जाता है। यह रक्तचाप, अल्सर, तेज सिर दर्द, पेट की खराबी, अनिद्रा आदि बीमारियों का भी कारण है।

भारत में समस्या

भारत में शोर सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली के वैज्ञानिक डा० पंचांली ने 1960 में किया था। उनके अनुसार दिल्ली में बहुत कम स्थान शान्त माने जा सकते हैं और साधारण यातायात से होने वाला शोर 105 डेसीबेल तक पहुंच गया है।

1965-66 में कलकत्ता शहर में शोर का सर्वेक्षण किया गया और मनोवैज्ञानिक ने यह मत प्रकट किया है कि शोर के कारण युवाओं में बहरेपन के मामले बढ़ रहे हैं। शोर के स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों पर अखिल भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान दिल्ली में बहरेपन के सन्दर्भ में "स्वास्थ्य संकट के रूप में शोर का आकलन" नामक एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम जारी है तथा भारतीय मानक संस्थान ने भी शोर की माप के मानक बनाए हैं।

वायु प्रदूषण

सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात हुआ है कि पिछले 100 वर्षों में वायुमण्डल में कार्बनडाई आक्साइड की मात्रा में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर कार्बन-डाइआक्साइड की मात्रा हमारे वातावरण में निरन्तर बढ़ती रही तो मनुष्य एवं जानवरों के शरीर हेतु आवश्यक प्राणवायु का अनुपात घट जाएगा। घटते अनुपात के कारण शहरी क्षेत्रों व महानगरों में लोगों में श्वास रोग और नेत्र रक्तिमता बढ़ रही है।

नगरों में मोटरगाड़ियों द्वारा छोड़े गए धुएं एवं कल-कारखानों में चिमनियों से निकले धुएं से वातावरण दूषित होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी व्यवसाएं हैं, जो दुर्गन्धयुक्त भाप उत्पन्न करके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में धूल उड़ाना अनिवार्य है। इनके मुख्य उदाहरण हैं:—खनिज, लैड, सीमेन्ट, ताम्बा, लोहा, चूना इत्यादि। इनमें सबसे अधिक खतरनाक गर्द सिलिका है। यह बालू का अत्यन्त महीन कण होता है, जो सास के द्वारा फेफड़ों में जाते रहने के कारण सिलिकेसिस रोग उत्पन्न करता है। इससे व्यक्ति को यक्ष्मा (टी० बी०) होने की संभावना रहती है। अन्य धूल कण पैदा करने वाले उद्योग हैं:—जूट, कपास, अन्न (जैसे, आटा, चावल, इत्यादि एवं चमड़ा, रेशम, ऊन, सींघ आदि। धुआं, गैस, धूल का कण, भिन्न-भिन्न प्रकार के रोगों को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

ताप बिजली घरों में अधिक राख पैदा करने वाले कोयले के प्रयोग से आसपास का वायुमण्डल दूषित हो जाता है। इन बिजली घरों की चिमनियों की ऊंचाई आमतौर पर लगभग 70 मीटर से अधिक नहीं होती। कुछ में राख इकट्ठा करने की मशीनें लगी होती हैं जो ठीक से काम नहीं करती या कुछ में होती ही नहीं। औद्योगिक गतिविधियों के कारण भारत में वायु प्रदूषण की समस्या विकसित राष्ट्रों के समान नहीं है, लेकिन इस्पात, तेलशोधक कारखानों, सीमेंट फैक्ट्रियों, कपड़ा मिलों, चमड़े के कारखानों, उर्वरक संयंत्रों और कागज और लुगदी मिलों के आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण अधिक है।

जैसा कि सर्वविदित है हमारे वन इस प्रदूषण की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमारे वातावरण में गैसों के अनुपात को तो बराबर रखते ही हैं, बाढ़, भूस्खलन, भूरक्षण, रेगिस्तानों का विस्तार, जल स्रोतों के सूखने तथा जल एवं वायु प्रदूषण के रूप में होने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अधिक पेड़ उगाने होंगे और वनों को उजड़ने से रोकना होगा।

जल प्रदूषण

वायु-प्रदूषण जितना ही खतरनाक है, जल-प्रदूषण। जल, मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है और स्वच्छ तथा निरापद पानी न मिलने के कारण ही गांव के लोग गम्भीर संक्रामक रोगों के शिकार हो जाते हैं। हाल के सर्वेक्षणों द्वारा ज्ञात हुआ है कि प्रति वर्ष लगभग 2 लाख व्यक्ति जल-प्रदूषण से मर रहे हैं। यदि सभी को स्वच्छ, शुद्ध पेयजल मिलने लगे तो लगभग आधी भयंकर बीमारियां स्वतः ही मिट जाएगी।

जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कुएं, जलाशय नदियां व समुद्र हैं, गांव अथवा शहर की गन्दी नालियों का इन स्रोतों में गिरना, इन स्रोतों के पास कपड़े धोना,

बर्तन साफ करना, स्नान एवं भू-भाग पर स्थित कल-कारखानों तथा शहरों की गन्दगी को बगैर साफ किए नदियों में बहा देने से नदियों व समुद्र का जल दिन-ब-दिन दूषित होता जा रहा है।

स्वच्छ तथा निरापद पानी न मिलने के कारण गांव के लोग हैजा, टाइफाइड, पीलिया आदि गम्भीर संक्रामक रोगों के शिकार बनते रहते हैं।

हैजा एक कुण्डला आकार जीवाणु कौलेरा व्रिबूओं के संक्रमण से होता है। हैजे से पीड़ित मरीज के मल द्वारा विसर्जित ये कीटाणु पानी के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। गन्दे पानी में पकड़ी गई मछलियां तथा ऐसे पानी से धोई गई तरकारियों तथा फल भी हैजा फैलाते हैं। तीज-त्यौहारों तथा मेले के अवसर पर हैजे का जीवाणु संक्रामक रूप में पनपता रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हैजे का वर्तमान प्रसार उन क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है जहां शुद्ध पेय जल तथा स्वच्छता के साधनों की कमी है। जिन देशों में वातावरण को स्वच्छ रखने और व्यक्तिगत सफाई की ओर अधिक ध्यान दिया गया है हैजा अपने पांव नहीं जमा पाया है।

जल-प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में किसी भी व्यक्ति को किसी नदी या कुएं में ऐसा कोई भी पदार्थ जानबूझ कर डालने देने की अनुमति नहीं है। जिससे जल-प्रदूषण बढ़ सकता है। कानून भंग करने वाले को 6 महीने से 6 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है।

व्यावसायिक केन्द्रों में स्वास्थ्य

(क) **विषैले पदार्थों से सुरक्षा**:– लैड जैसे विषैले पदार्थों की जगह, जस्ता जैसी अल्पघातक वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। पारा, मैंगनीज, फासफोरस, संखिया आदि जहरीले पदार्थों का प्रयोग करते समय मजदूरों को विशेष पोशाक और नकाब पहनना चाहिए। कमरों में ऐसे यंत्र लगे हों जो दूषित वायु को बाहर फैंक कर शुद्ध वायु का संचार करें।

(ख) **गर्द-गुबार से सुरक्षा** :—ऐसे कारखानों में जहां वातावरण में धूलकणों के उड़ने की संभावना हो, यथासंभव आरद्र विधि (Wet process) अथवा पानी से तर रखने का प्रयोग करना चाहिए। काम करने वालों को नकाब आवश्यक पहन लेना चाहिए।

(ग) **उद्योग संबंधी छूत से सुरक्षा** :– कुछ कारखानों में ऐसे काम होते हैं जहां कारीगरों को तरह-तरह की छूत लगने का भय रहता है। इसके लिए उचित डाक्टरी प्रबन्ध आवश्यक है। वहां डाक्टर और अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए।

(घ) **यान्त्रिक आघात से सुरक्षा** :— यंत्रों के सभी अंग इस प्रकार से ढके हों कि कामगारों का उनकी चपेट में आने का यथासंभव, कम भय हो। ऐसे कारखानों में रोशनी और हवा का उचित प्रबन्ध होना चाहिए।

औद्योगिक गैस और धुआं:—साधारण-तया रासायनिक और धातु सम्बन्धी कारखानों में औद्योगिक गैस और धुएं की अधिकता रहती है। इनके कुप्रभाव से तरह-तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं जो गैस और धुएं के भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। ऐसे कारखानों में ऐसा प्रबन्ध आवश्यक है कि जिससे उनमें उत्पन्न होने वाले गैस और धुआं, यंत्र विशेष द्वारा निस्सारित किए जा सकें।

जस्ता, मैगनेसियम, अथवा तांबे के कारखाने में उत्पन्न धुआं या गैसें एक खास तरह के ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। इस तरह के गैस और धुएं से जानवर भी प्रभावित हो जाते हैं। प्रमुख गैसें हैं—कार्बन मोनोआक्साइड, सलफुरेटिड-हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन, एमोनिया और कार्बनडाइ-सल्फाइड।

हानिकारक व्यापार

वे सभी व्यापार जो गन्दगी, दुर्गन्ध, या जनसाधारण के लिए अन्य असुविधा उत्पन्न कर उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाले, हानिकारक व्यापार कहलाते हैं। इसके अन्तर्गत (1) पशुपालन (2) पशुवद्ध (3) रक्त उबालना और सुखाना (4) हड्डी जमा करना और उबालना (5) चर्बी सम्बन्धी व्यापार, जैसे साबुन या मोमबती का कारोबार (6) खाल (7) चमड़ा तैयार करना (8) कागज (9) तेल या (10) चावल का कारखाना जैसे सभी तरह के व्यापार आ जाते हैं। यह सही है कि इन व्यापारों का अपना महत्व है और मानव जीवन के लिए इनका होना अनिवार्य है। फिर भी हानिकारक और दूषित वातावरण उपस्थित कर सर्वसाधारण के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करने के कारण ऐसे कारखानों को आबादी से से दूर, गांव या नगर से बाहर होना चाहिए। सरकार द्वारा इन कारखानों की सफाई सम्बन्धी बातों पर कड़ी निगरानी रखना आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारत और अनेक विकासशील देशों में लोग पर्यावरण समस्याओं के प्रति उदासीन हैं। अशिक्षा के कारण वे समस्या की गम्भीरता को नहीं समझ पा रहे हैं और आस-पास की गन्दी परिस्थितियों में रहने के आदी हो गए हैं। प्रदूषण का मुख्य कारण बड़े-बड़े उद्योग अथवा सरकारी संस्थान है, जिनको चुनौती देना आम आदमी के बूते की बात नहीं है। सरकार और शिक्षण संस्थाओं को चाहिए कि वे जनता को सचेत करें और व्यक्तिगत सफाई और वातावरण स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण विकसित करें।

हमारे देश में प्रदूषण निवारण हेतु कानून तथा अनुसन्धान दोनों क्षेत्रों में काफी काम करने की जरूरत है। वैज्ञानिकों को भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुकूल तकनीकें विकसित कर देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करना है। भारतीय विश्वविद्यालयों और कालिजों में प्रदूषण-शिक्षा को पाठ्यक्रम के एक विषय के रूप में सम्मिलित करना होगा। इस सबके समन्वित प्रयासों से ही हम अपने देश में मानव जीवन के इस अदृश्य शत्रु पर नियंत्रण कर सकेंगे □

राजेन्द्र सिंह,
प्रवक्ता, एस० पी० कालेज आफ एजुकेशन,
रेवाड़ी, (हरियाणा)

साहित्य समीक्षा

वंदउं सीताराम पद : सम्पादक : वियोगी हरि, प्रकाशक : मण्डेलिया परमार्थ कोष, जियाजी कॉटन मिल्स ग्वालियर, म० प्र०, पृष्ठ : 102, मूल्य : 5 रुपये ।

रामचरित मानस ने भारतीय संस्कृति पर जितना व्यापक प्रभाव डाला है और संसार में अपनी सांस्कृतिक धरोहर का झण्डा गाड़ा है, वह अतुलनीय है।

रामचरित मानस में नवधा भक्ति का विशेष स्थान है। तुलसीदास ने नवधा भक्ति के जिस दास्य भाव को उंडेला है, वह अद्वितीय है।

तुलसी ने जिस नवधा भक्ति का चित्रण किया है और सम्पादक ने जिस मेहनत और लग्न से उनका संकलन किया है वह उन भक्तों के लिए स्तुत्य कार्य है, जो भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं। वंदउं सीताराम पद' में राम नाथ महिमा के अलावा 21 स्तुतियों का संकलन है जो रामायण में आए पात्रों जैसे कौशल्या, परशुराम, जटायु, बालि आदि के अतिरिक्त ब्रह्मा, शिवजी, इन्द्र जैसे देवताओं द्वारा भी स्तुति की गई है।

हर स्तुति का खण्ड अलग से दिया गया है। हर खण्ड की स्तुति को अर्थ सहित दिया गया है।

हिन्दी में ऐसी भगवात् भक्ति पुस्तकों की कमी अरसे से खटक रही थी क्योंकि आज जिस तरह पाठकों की रुचि को बिगाड़ने वाला साहित्य छप रहा है, तब ऐसी आस्था जगाने वाली पुस्तकों का अभाव खलता है।

हार्ड बाऊण्ड और सुन्दर गेट अप में छपी यह पुस्तक प्रकाशकों के लिए एक उदाहरण है।

जगदीश कश्यप
डी-32, गली सिटी डाकघर,
गाजियाबाद-201001 (उ० प्र०)

स्वास्थ्य शिक्षा : ले० राजेन्द्रसिंह, धनपत राय एण्ड सन्स, 1682, नई सड़क, दिल्ली-110006, पृष्ठ संख्या: 128, मूल्य: 10.00 रुपये ।

हिन्दी में प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों के विषय में एक आम शिकायत रही है कि उनकी भाषा कठिन है। अतः विद्यार्थियों को विषय हृदयङ्गम नहीं होता। इसके दो कारण हैं। एक तो अंग्रेजी में तैयारशुदा पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद करना और दूसरे उन विशेषज्ञों द्वारा पाठ्य-पुस्तक की रचना की जाना जो हिन्दी भाषा की प्रकृति तथा विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान से अपरिचित हैं। इनका निराकरण तभी होता है जब पाठ्य-पुस्तकों की रचना में विशेषज्ञ हिन्दी भाषाविद् तथा छात्रों के भाषा स्तर से परिचित शिक्षक का योगदान लिया गया हो। पाठ्य-पुस्तक रचना एक विशेष रचना-प्रक्रिया है जिसमें कभी-कभी एक व्यक्ति भी तीन विशेषताओं का संगम बनकर सफलतापूर्वक पाठ्य-पुस्तक की रचना करता है। स्वास्थ्य शिक्षा ऐसी ही एक पाठ्यपुस्तक है जिसकी सफल मौलिक रचना राजेन्द्रसिंह ने की है।

स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तक की रचना सैन्ट्रल बोर्ड आफ सैकण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली के पाठ्यक्रमानुसार की गई है। कक्षा 9 व 10 के लिए स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य विषय है। इस विषय का विवेचन लेखक ने बड़ी सुन्दरता से किया है। आवश्यकतानुसार शरीर रचना सम्बन्धी चित्रों का सार्थक एवं सटीक प्रयोग किया है। विषय वस्तु नौ इकाइयों में विभाजित है। सम्पूर्ण विषय सामग्री को 26 पठनीय अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। विकासक्रम तथा संयोजन में शिक्षा सिद्धान्तों का पालन किया गया है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर प्रश्न अभ्यासों में निबंधात्मक, संक्षिप्त उत्तर तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग नवीनतम परीक्षण पद्धति के अनुकूल पड़ता है।

भाषा की सरलता, रोचकता और विषय प्रतिपादन में शैलीगत प्रवाह एवं प्रभाव के कारण पुस्तक पाठकों तथा शिक्षकों को बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। □

डा० जयपाल तरंग
25 जामिया स्टाफ क्वाटर्स
नई दिल्ली-110025

पुष्यमित्र (उपन्यास) : लेखक : गुरुदत्त, प्रकाशक : राजपाल एंड सन्ज, कशमीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 208, मूल्य : 20 रुपये ।

पुष्यमित्र : श्री गुरुदत्त का एक सुन्दर उपन्यास है। लेखक को अपनी सभ्यता और संस्कृति से अपार प्रेम है। इसीलिए वह इतिहास के पृष्ठों में से सत्य का उद्घाटन किया करते हैं। वास्तविक स्थिति को सम्मुख लाना ही प्रायः उनका उद्देश्य रहा है।

प्रस्तुत उपन्यास भी इतिहास के धरातल पर ही स्थित है। इतिहास के साथ-साथ अपनी कल्पना की कूची से लेखक ने इसमें सुन्दर-सुन्दर आकर्षक रंग भी भर दिए हैं।

पुष्यमित्र एक ऐतिहासिक सत्य है। जिसने देश की एकता और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

वर्तमान स्थिति के काफी अनुरूप है—यह उपन्यास। तत्कालीन परिस्थितियों की भांति ही आज भी देश में आन्तरिक और बाह्य शत्रु विद्यमान हैं। देशवासियों और विश्वासघातियों से निपटने

के लिए एक सबल व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। वर्तमान संदर्भ में भी पुष्यमित्र जैसा व्यक्ति ही देश का उद्धार कर सकता है—जिसका व्यक्तित्व आदर्श हो तथा जिसे अपनी सभ्यता और संस्कृति का भान हो, जो निस्वार्थ भाव से सब को एकता के सूत्र में पिरोने की क्षमता रखता हो।

"अरुन्धती" के माध्यम से लेखक ने संकेत किया है कि नारी जाति भी देश रक्षा में किसी से पीछे नहीं रही। आज की नारी को भी अपने कर्त्तव्य की पहचान कर इस कार्य में जुटना होगा। पुरुष के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर देश की रक्षा करनी होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो स्थिति भयंकर और विकट हो सकती है। इसके साथ यह भी संकेत है कि देश की स्थिरता और अखंडता के लिए एक सबल सशक्त और योग्य गुप्तचर सेवा (विभाग) का होना अत्यन्त आवश्यक है।

तत्कालीन परिस्थिति के चित्रण में लेखक पूर्ण सफल है।

इसके साथ ही जिस उद्देश्य से लेखक ने इसकी रचना की है वह भी सुस्पष्ट प्रतीत होता है।

इसके लिए लेखक बधाई का पात्र है। ऐसी रचनाएं आदर्श को स्थापित करने वाली होती हैं।

गेट-अप सुन्दर तथा आकर्षक है। मूल्य अवश्य अधिक है—जोकि कम होना चाहिए—तभी हिन्दी भाषा का प्रचार हो पाएगा। □

एम० एल० मैत्रेय
एच-124, शिवाजी
पार्क (पंजाबी बाग)
नई दिल्ली-110026

मेरा पेट भारत का पेट है : सम्पादक : विष्णु प्रभाकर, प्रकाशक : सस्ता साहित्य मंडल व श्रीकृष्ण जन्म-स्थान सेवा संस्थान, पृष्ठ संख्या : 112, मूल्य : तीन रुपये।

गांधी जी की राजनीति से कोई सहमत हो अथवा न हो, उनके उच्च नैतिक चरित्र की कोई प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। उनके राजनीतिक शत्रुओं ने भी उनके सन्त-स्वभाव की भूरि-भूरि श्लाघा की है। उक्त पुस्तक महात्मा गांधी के इस पक्ष को सर्वाधिक उजागर करती है। जिस युग पुरुष ने अपने पूरे जीवन की आहुति मानव मात्र के हित चिन्तन में दी हो, उनके जीवन की घटनाएं सबके लिए प्रेरक हों, इसमें संदेह नहीं है।

प्रस्तुत पुस्तक में अनेक रोचक तथा प्रेरक प्रसंग हैं। प्रत्येक प्रसंग अपने में अनूठा है। पुस्तक अत्यन्त रोचक तो है, साथ ही शिक्षाप्रद और प्रेरक भी है। यह पुस्तक कितनी ही बार पढ़ें, उस का रस बना रहता है।

अनेक प्रसंगों में से कुछ का उल्लेख उपयुक्त होगा।

गांधी जी सादगी के अवतार थे। एक बार जब उन्हें चांदी का पीकदान दिया गया तो झल्ला गए। मुझे तो मिट्टी का शकोरा ही चाहिए। अगर मुझे गरीबों में रहना है तो उन जैसा जीवन अपनाना चाहिए। इसी प्रकार उन्हें जब चारपाई दी गई तो उन्होंने इन्कार कर दिया और चटाई पर सोए।

गांधी जी हिन्दू-मुस्लिम एकता के कितने बड़े हामी थे, वह इस बात से पता चलता है कि उन्होंने एक बार दुःखी होकर कहा, "मैं तो यह कहने को तैयार हूं कि सब के सब नास्तिक हो जाएं तो अच्छा है। इनके न मानने से खुदा थोड़े ही मिट जाएगा पर ये आदमी तो बनें।"

"पश्यति यः सः ऋषि"—जो व्यक्ति (दूर तक) देख पाता है वह ऋषि है। गांधी जी ने मानो अपनी हत्या के विषय में एक ऋषि की भांति भविष्यवाणी की थी। 29 जनवरी 1948 को यानी मृत्यु से केवल एक दिन पूर्व उन्होंने कहा था : "एक हफ्ते पहले मुझ पर बम फेंककर मारने का प्रयत्न किया गया। उसी तरह कोई आदमी मुझे गोली से मारने आए और उस समय अगर मैं बहादुरी से गोलियां छाती पर झेल लूं और मेरे मुंह से आह तक न निकले बल्कि रामजी का नाम रटते-रटते मरूं तो ही दुनिया से कहना कि मैं सच्चा महात्मा था।" मौत ने उन्हें सच्चे महात्मा होने का प्रमाण पत्र दे दिया।

एक बार गांधी जी एक बच्चे के करतब देख रहे थे। वहां देखने वाले कोई भी बच्चे की शारीरिक कमजोरी के बारे में न भांप सके। गांधी जी ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हारी आंखें कमजोर हैं? बच्चे ने इस बात को स्वीकारा और गांधी जी की पैनी दृष्टि की सभी ने दाद दी।

पुस्तक के सभी संस्मरण रोचक हैं। भाषा सरल और प्रवाहमय है।

पुस्तक का तीसरी बार छपना ही पुस्तक की लोकप्रियता व उपादेयता का प्रमाण है। □

ब्रजलाल उनियाल

साध-काव्य संग्रह : रचयिता एवं प्रकाशक : अमर नाथ 'कौस्तुभ', पृष्ठ संख्या 136, मूल्य : 10 रुपये।

कविता, गजल और गीतों के प्रकाशन का अमरनाथ 'कौस्तुभ' का यह प्रयास सर्वथा निजी प्रयत्न तथा साधनों का लेखा-जोखा है।

'कौस्तुभ' के दिल में तड़प है, दर्द है, बात ईमानदारी से कहना चाहते हैं परन्तु अभिव्यक्ति में पकड़ नहीं। बात कहना चाहते हैं परन्तु शब्द चयन का अभाव है।

कवि का, अनुमानतः, प्रथम प्रयास है। जब तक भाषा परिमार्जित न हो जाए, प्रकाशन के लोभ से बचना अच्छा होता है। भाव एवं भाषा की खामियों के साथ प्रूफ की भद्दी भूलें बड़ा कष्ट देती हैं। एक दो हों तो गिनाई भी जाएं।

रचनाएं सामान्य कोटि की हैं। पुस्तक का ढांचा भी आकर्षक नहीं है। □

रामेश्वर दयाल मिश्र
आई बी 14 सी
डी०डी०ए०, फ्लैट्स
अशोक विहार, दिल्ली

केन्द्र के समाचार

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण में राज्य मंत्री, श्री बालेश्वर राम ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने अक्तूबर, 1980 से काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान ले लिया है। इस समय पूरे देश में यही कार्यक्रम चल रहा है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के निष्पादन का मूल्यांकन तथा समीक्षा के फलस्वरूप इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्नों के अतिरिक्त मजदूरी के भुगतान के लिए अब नकद राशि भी दी जाती है और इसके अलावा कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को स्थायी बनाने के लिए निधियां भी सुलभ की गई हैं।

अरहर की नई किस्में

देश में दलहन की खपत को नजर में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिकों ने कम समय में तैयार और अधिक उत्पादन देने वाली अरहर की नई किस्मों का विकास किया है। इन नई किस्मों के नाम पूसा-64, पूसा-78, पूसा-83 तथा पूसा-84 हैं। अरहर की ये किस्में सिर्फ 140 दिन में पक जाती हैं तथा 20 से 25 क्विटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती हैं। परम्परागत अरहर की फसल 10 महीनों में तैयार होती है तथा 17.2 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर उपज देती है।

अरहर की इन उन्नत किस्मों की खेती का किसानों को सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनकी कटाई के तुरन्त बाद खेत में गेहूं की बुआई की जा सकती है। इनकी खेती अप्रैल से जून के महीनों में की जाती है और फसल नवम्बर तक पक कर तैयार हो जाती है। इसके साथ मूंग की भी उपज की जा सकती है। मूंग की खेती से अरहर तथा बाद में बोए जाने वाली गेहूं की फसल को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए किसानों को गेहूं की खेती के लिए लगभग 40 प्रतिशत कम रासायनिक खाद देनी पड़ती है। इस प्रकार किसान को एक खेत में अरहर, मूंग तथा गेहूं तीन फसलें मिल जाती हैं जिससे उसे प्रति हेक्टेयर 4080 रुपये का लाभ मिल जाता है।

मिट्टी की जांच

मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट न होने देने के लिए उसकी जांच अति आवश्यक है और इसके अनुसार फसलों का चयन, खाद तथा उर्वरक की मात्रा व फसल चक्र का प्रयोग करें। खाद तथा उर्वरक पर कम खर्चा और उससे अधिक पैदावार लेने के लिए मिट्टी की जांच एक अमूल्य साधन है।

मिट्टी की जांच कम से कम दो या तीन वर्ष में एक बार या प्रत्येक फसल चक्र के बाद करा लेनी चाहिए। इसके लिए सही नमूने का होना बहुत आवश्यक है।

कल्लर जमीन में नमक तथा खारे तत्व की मात्रा पानी के उतार-चढ़ाव के कारण बदलती रहती है। इसलिए मिट्टी का नमूना एक मीटर गहराई से लेना आवश्यक है।

फलदार पौधों की कामयाबी सतह से नीचे जमीन के उपजाऊपन तथा दूसरे हालातों पर निर्भर करती है। इसलिए बागवानी के लिए ऊपर से 1.80 मीटर गहराई तक की मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। फलदार पौधों के लिए मिट्टी का नमूना लें—अलग-अलग प्रकार से इकट्ठे किए गए मिट्टी के नमूनों को जल्दी नजदीकी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में भेजना चाहिए ताकि उससे संबंधित सूचना जल्दी से जल्दी मिल सके और उसके लाभ उठा कर अच्छी फसल के साथ अच्छा मुनाफा कमाया जा सके।

बुआई के लिए अतिरिक्त पानी

सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं। राजस्थान तथा हरियाणा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रबी की बुआई के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हेतु पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा भाखड़ा-ब्यास प्रबंधक बोर्ड के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई जाएगी। उपलब्ध पानी की क्षमता के अधिक से अधिक उपयोग के लिए हिमालय की नदियों से प्राप्त पानी के लिए जलाशयों के निर्माण हेतु भारत सरकार लगातार नेपाल सरकार के साथ बातचीत कर रही है। भारत और नेपाल के बीच करनाली, पंचेश्वर तथा राप्ती जैसी परियोजनाओं के संबंध में पहले से ही समझौते हो चुके हैं।

खाद्यान्न का 18.4 प्रतिशत अधिक उत्पादन

वर्ष 1980–81 में 12 करोड़ 98 लाख 70 हजार टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। यह पिछले वर्ष में हुए 10 करोड़ 97 लाख टन के उत्पादन से 18.4 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1980–81 में हुआ उत्पादन 1978–79 में हुए रिकार्ड उत्पादन से केवल 1.5 प्रतिशत कम है।

अन्तिम आकलन के अनुसार 1980–81 वर्ष में गेहूं का उत्पादन 3 करोड़ 64 लाख 60 हजार टन हुआ। यह पूर्वानुमानित 3 करोड़ 60 लाख टन के उत्पादन से लगभग 5 लाख टन अधिक है।

अन्तिम आकलन के अनुसार देश में चावल का रिकार्ड उत्पादन हुआ। जोकि 5 करोड़ 32 लाख टन रहा। यह गत वर्ष के उत्पादन से 25.8 प्रतिशत अधिक है।

मोटे अनाजों का उत्पादन 1980–81 में इससे पिछले वर्ष में हुए उत्पादन से 7.6 प्रतिशत अधिक हुआ।

दालों का उत्पादन वर्ष 1980–81 में एक करोड़ 11 लाख 70 हजार टन हुआ जोकि गत वर्ष के उत्पादन से 30.3 प्रतिशत अधिक है।

समर्थन मूल्य

मौजूदा खाद्य स्थिति को देखते हुए वर्ष 1981–82 के लिए औसत किस्म की बिना छिली मूंगफली के लिए 270 रुपये प्रति क्विन्टल समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। वर्ष 1980–81 में समर्थन मूल्य 206 रुपये प्रति क्विंटल था।

वर्ष 1981–82 मौसम के लिए औसत किस्म की काली सोयाबीन के लिए 210 रुपये प्रति क्विंटल और पीली किस्म की सोयाबीन के लिए 230 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य होगा जबकि वर्ष 1980–81 मौसम में यह क्रमशः 183 रुपये और 198 रुपये प्रति क्विंटल था।

वर्ष 1981-82 मौसम के लिए औसत किस्म के सूरजमुखी के बीज का समर्थन मूल्य 250 रुपये प्रति क्विंटल होगा जबकि वर्ष 1980–81 मौसम में यह 183 रुपये प्रति क्विंटल था।

जहां तक आवश्यक होगा 'नेफेड' समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए एजेंसी का काम करता रहेगा। □

गणतन्त्र दिवस

राम प्रकाश राही

जिसके दम से भाग्य के तेवर।
निद्रा से बेदार हुए हैं।।
जिसके दम से दृढ़ कुंठा के।
हथ-कंडे बेकार हुए हैं।।
जिसके दम से आजादी के।
सब सपने साकार हुए हैं।।
जिसके दम से सभी इरादे।
साहस का श्रृंगार हुए हैं।।
सफल, सजीव, सुहाना सरस है।
यही दिवस इक ऐसा दिवस है।।
जन-जीवन में आगे बढ़ते।
कदम नए हैं राह नई है।।
प्रगति के पल-पल की गाथा।
एक नया इतिहास बनी है।।
जिसके दम से चारों ओर से।
उजियारे की पौ फूटी है।।
आशाओं के फूल खिले हैं।
हर अंगनाई महक उठी है।।
कहीं भी कोई खार न खस है।
यही दिवस इक ऐसा दिवस है।।
इस धरती के सारे वासी।
हिन्दू, मुसलिम, सिख, ईसाई।।
सदा रहे हैं, सदा रहेंगे।
आपस में सब भाई-भाई।।
जिसके दम से परंपराएं।
लेती हैं अब नव अंगड़ाई।।
कर्मठ हाथों की यह माया।
नव-सुख-वर्षा, नव पुरवाई।।
अपनी शक्ति अपने बस है।
यही दिवस इक ऐसा दिवस है।।

पहला सुख निरोगी काया

बेल एक बहुगुणकारी फल

राजमणि पाण्डेय

बेल एक ऐसा स्वदेशी फल है जिसकी व्यावसायिक खेती की तरफ अभी तक बहुत कम ध्यान दिया गया है। बागों में इसके इक्के-दुक्के पेड़ इधर-उधर लगे हुए दिखाई पड़ते हैं। विपरीत परिस्थितियों में इसकी सहनशीलता एवं औषधीय गुणों के कारण भविष्य में इसकी व्यावसायिक खेती के विस्तृत क्षेत्र की काफी सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, इसके फलों से विभिन्न प्रकार के परिरक्षित पदार्थ बनाए जा सकते हैं। जो इसकी खेती को आर्थिक रूप से और भी लाभदायक बना सकते हैं।

यह ज्ञातव्य है कि बेल भारतवर्ष में आदि-काल से ही उगाया जाता रहा है। इसके उद्धरण यजुर्वेद, बौद्ध एवं जैन धर्म के प्राचीन ग्रन्थों, उपवन विनोद, बृहतसंहिता, चरक एवं सुश्रुत संहिताओं में मिलते हैं। पौराणिक काल में इसके वृक्ष चित्रकूट के आस-पास की पहाड़ियों में उगते पाए गए हैं।

इसके वृक्ष क्षारीय, दलदलीय एवं कंकरीली-पथरीली भूमि तथा शुष्क परिस्थितियों में भी अच्छी प्रकार से उगाए जा सकते हैं। यहां तक कि पी० एच० 5 से लेकर पी० एच० 10 तक की भूमि में भी इसे उगाया जा सकता है। जहां तक ऊंचाई का प्रश्न है यह समुद्र तल से 100 से 800 मीटर की ऊंचाई पर भी पाया जाता है। यद्यपि यह एक उष्णकटिबन्धीय फल है फिर भी यह 20 डिग्री फार्नहाईट तक के तापक्रम को सहन कर लेता है। साधारण तौर पर इसके वृक्ष बीजों द्वारा पैदा किए जाते हैं जिसके कारण प्रत्येक वृक्ष का गुण दूसरे से अलग होता है। इस कमी को दूर करने के लिए कलिकायन एवं शीर्ष क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है।

इसका वानस्पतिक विवरण अपने आप में अनोखा है। यह एक पर्णपाती वृक्ष है जिसकी पत्तियां गर्मियों में गिरती हैं। वृक्ष का आकार मध्यम, तना सीधा तथा भूरी छाल वाला होता है। इसकी टहनियों में कक्षस्थ कांटे होते हैं। काटे जाने पर इसकी लकड़ी से एक जोरदार महक आती है। पत्तियां चमकीली हरी होती हैं जो तीन उप-पत्तियों में विभाजित होती हैं। फूल का रंग हल्का हरापन लिए हुए सफेद होता है और ये गुच्छों में लगे होते हैं। फूलों से अत्यधिक सुगन्ध निकलती है। पके हुए फल का स्वाद मीठा होता है लेकिन उसमें एक हल्का सा कड़वापन होता है। पकने के बाद फल के अन्दर गहरे पीले रंग या नारंगी रंग का तथा अत्यधिक सुगन्धित चिपचिपा गूदा पाया जाता है।

औषधीय गुणों के कारण इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। शरीर के किसी न किसी रोग को दूर करने में बेल वृक्ष के करीब-करीब सभी भाग प्रयुक्त होते हैं। वैद्य लोगों के अनुसार यह ज्वरनाशक, रक्त-शोधक एवं पित्तनाशक होता है। कब्ज को दूर करने में भी यह बहुत उपयोगी है। इसकी पत्तियों को पूजा में प्रयोग करने के अलावा इनसे बनाए गए ताजे एवं हल्के रस का उपयोग बुखार एवं जौंडिस को दूर करने में किया जाता है। इसकी पत्तियां वात-नाशक एवं पीसकर शहद में मिलाकर देने से मधुमेह की बीमारी को दूर करती हैं। आंखों की लाली, जलन एवं सूजन को इसकी पत्तियों के पुलटिस को आंखों पर बांधने से समाप्त किया जा सकता है। पत्तियों के रस से त्वचा रोग भी दूर हो जाते हैं। इसकी जड़ों और छालों से बनाए गए काढ़े का प्रयोग पेचिस एवं पेट की गैस्टिक बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। इसके पके हुए फलों का गूदा मृदुविरेचक तथा उसके खाने से हृदय एवं भूख संबंधी समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है तथा पेचिस आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। इसको शहद के साथ मिलाकर खाने से बवासीर रोग भी दूर हो जाता है। बेल के बीज का भी बहुत बड़ा औषधीय महत्व है। इसका तेल थकावट को दूर करने में सहायक होता है तथा इसके आधी बूंद को बताशे के साथ छोटे बच्चों को देने से उनका सूखा रोग दूर हो जाता है। 20 बूंद को चीनी में मिलाकर देने से गठिया रोग समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त बेल के बीज का तेल मनुष्य की सभी इंद्रियों को सक्रिय कर देता है। बेल की गिरी बच्चों की बहुत सी बीमारियों को दूर करने में भी सहायक होती है। बेल की गिरी को पीसकर तथा सौंफ के रस में मिलाकर बच्चों को दिन में तीन-चार बार चटाने से उनके हरे पीले दस्त बन्द हो जाते हैं। छोटे बच्चों में दांत निकलते समय भी इसका सेवन बहुत लाभकारी होता है।

इसके पके हुए फलों से विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे, शर्बत, नैक्टर, जैम, पनीर, चटनी, मक्खन, टाफी, पापड़ तथा पाउडर आदि बनाए जाते हैं। पोषक दृष्टि से भी इसका फल बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके फल में प्रोटीन 1.80 प्रतिशत, चर्बी 0.3 प्रतिशत, कार्बोहाइड्रेट 31.80 प्रतिशत, खनिज लवण 1.70 प्रतिशत विटामिन जैसे राइबोफ्लेविन 1.19 प्रतिशत, थियामिन 0.15 प्रतिशत, विटामिन सी० तथा निकोटीनिक एसिड 1.10 प्रतिशत पाए जाते हैं। इस फल की कलोरी भी बहुत अधिक होती है।

बेल फल के उपर्युक्त गुणों एवं विपरीत परिस्थितियों में उसके उगाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसकी व्यावसायिक खेती का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि हमारे देश में लाखों एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें अन्य फसलों को व्यावसायिक रूप से लेना कठिन है लेकिन ऐसी भूमि को बेल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। यद्यपि इसकी मांग हमारे देश में काफी है, इसके व्यावसायिक उत्पादन में विपणन संबंधी अड़चनें आ सकती हैं। इस समस्या को योजनाबद्ध कार्यक्रमों द्वारा सुधारा जा सकता है। □

निदेशक, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001, द्वारा प्रकाशित
एवं प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित, 1981

RN 708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (D)-55 to
post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi

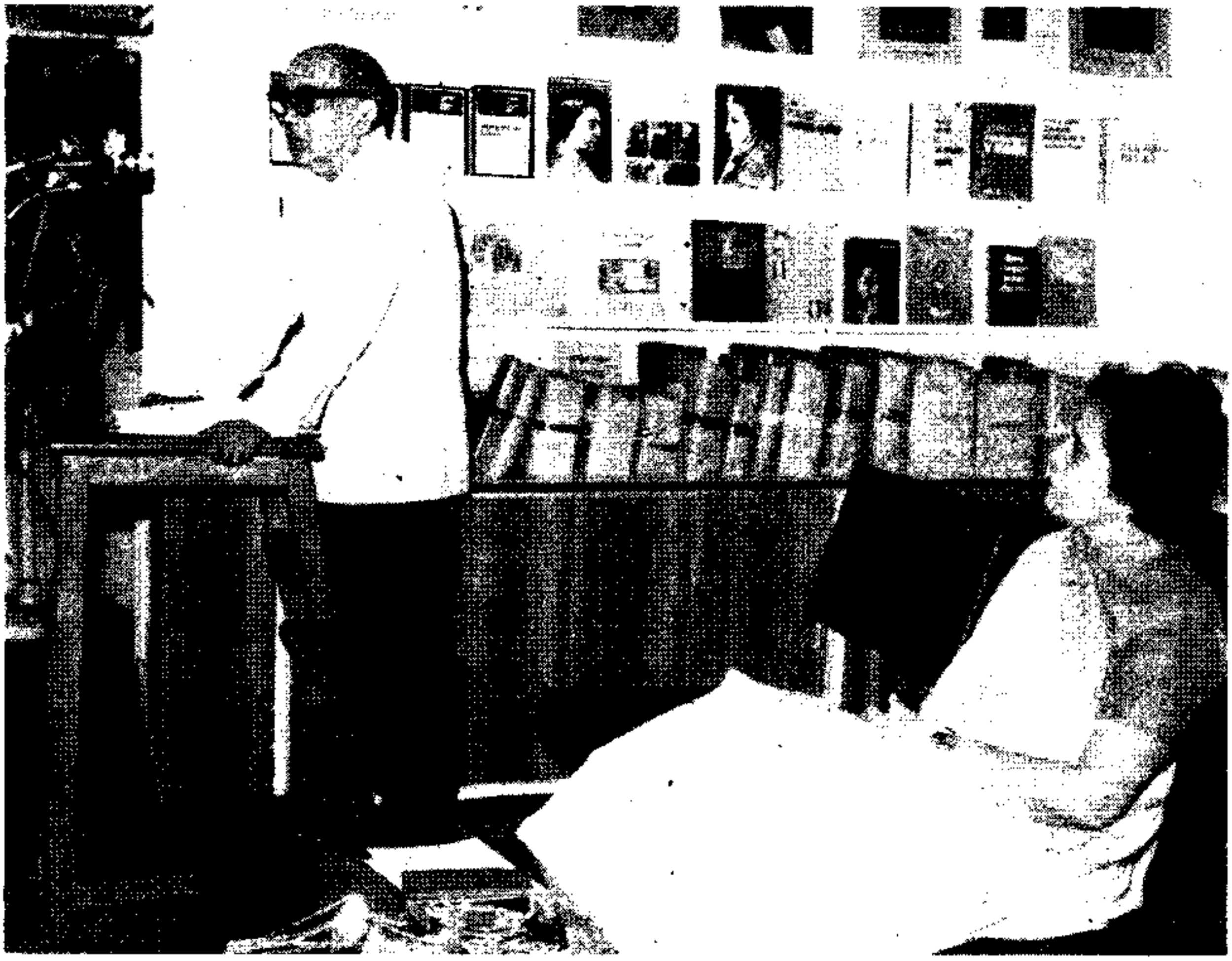

मद्रास के छात्रों और बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए लाभदायक रोजगार उपलब्ध करने हेतु पुस्तक बिक्री योजना के विशेष उद्घाटन समारोह में प्रकाशन विभाग के निदेशक श्री डी० एस० मेहता भाषण देते हुए।

मद्रास में बेरोजगार शिक्षित युवकों और छात्रों के लिए लाभदायक रोजगार उपलब्ध करने हेतु पुस्तक विक्रय योजना के विधिवत् उद्घाटन-अवसर पर भाषण देती हुई सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री कुमारी कुमुद जोशी।